Par. 8. 17. 1.
285

अंक १ मंगलवार
संख्या २ २० मई, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी संस्करण

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग ५३]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ५३—९३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ९३—११०]

(मूल्य ४ आने)

296 PSD.

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित— अनुसूचित जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)

कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदे [illegible]रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित [illegible])

काचि रोयर, श्री [illegible] डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)

कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)

खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)

गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटन)(मु)
प्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
ुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
ुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
ुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
ोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
ोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
ोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
ोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
ौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
ौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
ौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

ोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
ोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

क्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
टर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
टर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
टर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
डुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
ुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
हा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ो, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
डक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
ड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
ुरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
टयार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी' (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना. पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ़्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल भानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक-सभा

मंगलवार २० मई, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री के० आनन्दन नम्बियार (मयूरम)

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप जानते हैं कि इसे प्रश्न काल के बाद लिया जा सकता है और उस से पूर्व नहीं । ऐसा करना न तो संभव ही है और न उचित ही ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह नहीं जानता था ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से यह आशा की जाती है कि कम से कम वह अपने सहकारियों से तो प्रक्रिया को जान ही लें । वह स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो जानते हैं । अतः यह समझा ही जा सकता है कि वह अन्य प्रक्रिया को भी जानते हैं । यह कोई कारण नहीं ।

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

खाद्य तथा पानी की कमी

***३२. श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत संघ के किन राज्यों ने अपने क्षेत्रों में खाद्य तथा पानी की कमी की दशा के विषय में रिपोर्ट भेजी है, जिस में उन्होंने प्रत्येक मामले में प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख किया है;

(ख) इन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है, और यदि किया गया है, तो क्या इस विषय में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; तथा

(ग) इन क्षेत्रों के निवासियों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इन राज्यों ने प्रत्येक राज्य के सामने उल्लिखित क्षेत्रों में कमी की दशा घोषित की है :—

अजमेर—पूरे ब्यावर सब-डिवीजन में और अजमेर तथा केकड़ी सब-डिवीजनों के कुछ भागों में ।

बम्बई—अहमदाबाद, मेषंना, अमरेली, भड़ौच, कैरा, बनासकांठा जिलों में ।

कच्छ—सम्पूर्ण कच्छ ।

मद्रास—कड्डप्पा, चित्तूर, गन्तूर, नेल्लोर, कुरनूल, बेल्लारी, अनन्तपुर, चिंगलपेट, उत्तरी अर्काट, त्रिचिरापल्ली तथा कोयम्बटूर ज़िले ।

मध्यभारत—दक्षिणी ज़िले ।

पंजाब—हिसार, रोहतक और गुड़गांवा ज़िले ।

राजस्थान—केवल भरतपुर, गंगानगर जिले की ५ तहसीलों, अलवर तथा सवाई माधोपुर जिलों की कुछ तहसीलों को छोड़ कर राजस्थान के सब ज़िले ।

सौराष्ट्र—हलार, गोहिलवाड़, जालावाड़, मध्य सौराष्ट्र और सोरठ ज़िले ।

उत्तर प्रदेश—पूर्वी जिले अर्थात् मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया तथा गोरखपुर।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी न किसी अधिकारी ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ग) इन सहायता कार्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । एक संक्षिप्त टिप्पणी, जिस में उन के तथा केन्द्र द्वारा किये गय कार्य दिखाये गये हैं, सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**].

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भाग ख में के राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से मांगी गई सहायता का क्षेत्र क्या है तथा वह किस प्रकार की सहायता है ?

श्री किदवई : राज्यों ने जिस प्रकार की भी सहायता मांगी हम वह सब सहायता देने का प्रयत्न करते रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : प्रत्येक राज्य ने केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी थी ?

श्री किदवई : कुछ ने सहायता कार्यों के लिए अनुदान मांगे और कुछ ने सिंचाई के बड़े कार्यों के लिए सहायता मांगी थी । एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

श्री एस० एन० दास : क्या इन किसी क्षेत्रों से प्रव्रजन की भी रिपोर्ट आई है ?

श्री किदवई : इन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों ने भारत के किसी अन्य स्थानों को प्रव्रजन नहीं किया है ।

श्री बी० शिवा राव : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में रायलसीमा में सेना ने उत्तम कार्य किया है, मेरे माननीय मित्र के सामने इस सम्बन्ध में भी कोई योजना है कि अन्य क्षेत्रों में भी सेना की सहायता प्राप्त हो सके ?

श्री किदवई : मैं ठीक प्रकार से नहीं जानता कि ऐसी कोई योजना है अथवा नहीं किन्तु जब कभी भी आवश्यक होगा तो हम सेना से काम लेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : क्या इस बात से हम यह समझें कि खाद्य की कमी के विषय में पश्चिमी बंगाल से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री किदवई : यह उस सूची में नहीं है जिसे मैं ने अभी पढ़ा है और इस समय तो केवल यही सूचना प्राप्त है ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या मैसूर में खाद्य की कमी नहीं है ?

श्री किदवई : मुझे उस के विषय में मालूम नहीं ।

श्री एन० आर० नायडू : रायलसीमा में पानी की कमी के विषय में सरकार को कब पता चला ?

श्री किदवई : मैं नहीं जानता ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि जिन साधनों से पानी सम्बन्धी दशा को सुधारा जा सकता है वह राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री किदवई : उस विषय पर मुझे कोई पत्रादि प्राप्त नहीं हुए हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

***३३. श्री बी० आर० भगत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों तथा उन के परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने के अभिप्राय से एक अंशदान स्वास्थ्य सेवा योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि दी है, तो योजना का आधार तथा अन्य विवरण क्या है ; तथा

(ग) कब से यह योजना चालू की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) एक संक्षिप्त टिप्पणी, जिस में कि योजना की मुख्य बातें दी हुई हैं, सदन पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) जसे ही इस के लिये आवश्यक कर्मचारी भरती कर लिये जायेंगे तथा अन्य प्रारम्भिक बातें तय हो जायेंगी ।

श्री बी० आर० भगत : इस योजना का कार्यक्षत्र क्या है ? क्या इस में सब सरकारी कर्मचारी आ जायेंगे अथवा उन की केवल कुछ श्रेणियां ही आयेंगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस में सभी सरकारी कर्मचारी तथा उन के परिवार आते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : इस योजना की आर्थिक उपलक्षणा क्या है ? इस पर जो खर्चा आयेगा क्या उसे सरकार पूरा करेगी अथवा इसे सरकार और सरकारी कर्मचारी दोनों ही पूरा करेंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह खर्चा सरकार द्वारा तथा अंशदान के रूप में दिये गये धन से पूरा किया जायगा ।

श्री ए० बी० टामस : क्या सरकार का विचार इस योजना को भारत के अन्य भागों पर भी लागू करने का है ?

राजकुमारी अमृत कौर : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि भारत सरकार इस को वहीं लागू कर सकती है जहां भारत सरकार के कर्मचारी हैं । स्वास्थ्य के विषय में राज्य स्वाधीन हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों में यह चिकित्सा सम्बन्धी सहायता बन्द कर दी जाने वाली है, और क्या इन कर्मचारियों के वेतन में कोई उचित वृद्धि की जायेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या यह सत्य है कि सरकारी कर्मचारियों को उन को तथा उन के परिवारों दोनों को निशुल्क चिकित्सा सम्बन्धी सेवा सुविधा प्राप्त थी, और अब ऐसा क्यों है कि उन से कुछ धन लेने अथवा इस अतिरिक्त भार लादने की प्रस्तावना की जा रही है ।

राजकुमारी अमृत कौर : यह सुविधायें अब तक सरकारी कर्मचारियों की केवल कुछ श्रेणियों को ही दी जाती थीं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थीं । नई योजना के अन्तर्गत यह सुविधायें सब को दी जायेंगी ।

चीनी तथा गुड़ का निर्यात

*३४. **श्री बी० आर० भगत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने चीनी तथा गुड़ के निर्यात किये जाने की आज्ञा दे दी है ;

(ख) यदि दे दी है, तो किस सीमा तक तथा किस आधार पर; तथा

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां ।

(ख) अभी तो २५,००० टन गुड़ तथा ५०,००० टन चीनी के निर्यात की आज्ञा दी गई है ?

(ग) गुड़ के निर्यात की आज्ञा तो गुड़ के दामों में अनुचित रूप से होने वाली कमी को रोकने के लिये दी गई है तथा चीनी की निर्यात आज्ञा इस के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ भाग को बेचने के लिये दी गई है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि चालू उत्पादन काल में चीनी का स्कन्ध कितना है और अनुमानित आवश्यकता कितनी है, और क्या निर्यात के लिये निर्धारित की गई मात्रा का अतिरिक्त उत्पादन से कोई सम्बन्ध है ?

श्री किदवई : ऐसी आशा की जाती है कि उत्पादन काल की समाप्ति पर ४ लाख टन अतिरिक्त चीनी रहेगी ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा निर्यात किये जाने की आज्ञा दिये जाने के परिणाम स्वरूप गुड़ तथा चीनी के दामों में कोई विशेष वृद्धि हुई है ?

श्री किदवई : चीनी का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । खुले बज़ार में जो दर प्रचलित थे वह निर्धारित मूल्य से कई गुना कम हो गये हैं । जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है तो जब यह घोषित किया गया था कि निर्यात करने की अनुमति दे दी जायेगी, इसके दाम बढ़ गये किन्तु वह फिर गिरने शुरू हो गये हैं क्योंकि विदेशों में हमारी चीनी खरीदने को कोई भी तय्यार नहीं है ।

चौ० रनवीर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशी बाजारों में चीनी अथवा गुड़ नहीं खरीदा जाता है ?

श्री किदवई : दोनों ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि वास्तव में चीनी की कितनी मात्रा निर्यात की गई है और किन देशों को की गई है ?

श्री किदवई : स्वयं व्यापारियों ने बहुत थोड़ी मात्रा का निर्यात किया होगा किन्तु हम अब बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु हमें अन्य देशों में इस के खरीददार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें अन्य अतिरेक उत्पादन वाले देशों से सस्ते दामों पर चीनी मिल रही है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री आर० के० चौधरी :...कि कौन से देश विशेषकर .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । पुराने सदस्य होने के नाते श्री चौधरी यह जानते हैं कि यदि कोई सदस्य प्रश्न करना चाहते हों अथवा बोलना चाहते हों तो उन्हें ऐसा करने की तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि अध्यक्ष उन से न कहें । अतः वह सब माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहते हों, इस प्रथा का पालन करें । मैं निगरानी करता रहता हूं और जब कई सदस्य खडे

होते हैं तो एकदम ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेता हूं और किसी एक सदस्य से बोलने के लिये कहता हूं। यदि बहुत से सदस्य खड़े हो जाते हैं तो मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार की नीति चीनी और गुड़ के दाम बढ़ा देने की है ?

श्री किदवई : निश्चय ही भारत सरकार की यह नीति है कि गुड़ के दामों को बहुत अधिक न गिरने दे अन्यथा कृषकों को हानि होगी। गन्ना उत्पादक जिस भाव पर गन्ना देते हैं उसी के अनुपात से चीनी के दाम निर्धारित किये जाते हैं। अतः इस में सरकार द्वारा दाम बढ़ाने की इच्छा का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। इस का भाव गन्ने के दाम पर आधारित है। गन्ने के दाम कम किये जा सकते हैं, और शायद कम कर दिये जायेंगे, किन्तु ऐसा तब ही होगा जब नया गन्ना मिल जाय और गन्ने के कम दाम निर्धारित हों।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं जान सकता हूं कि इन चीज़ों के दाम, चीनी तथा गुड़ की निर्यात सम्बन्धी घोषणा किये जाने के परिणाम-स्वरूप गिर गये हैं ?

श्री किदवई : मैं ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

टेलीफोन यंत्र (आयात)

*३५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में क्या सम्पूर्ण टेलीफोन यंत्रों का आयात किया गया था ?

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में टेलीफोन के किन्हीं भागों का आयात किया गया था और यदि किया गया था, तो उनका मूल्य कितना था ?

(ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाये गये यंत्रों की संख्या कितनी थी, और डाक तथा तार घर के कारखानों में जोड़े गये यंत्रों की संख्या कितनी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केवल कुछ थोड़े से विशेष टेलीफोन यंत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण टेलीफोन यंत्रों का आयात नहीं किया गया।

(ख) जी हां : २,७२,५९० रुपये मूल्य था।

(ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड २१,६२८, डाक तथा तार घर के वर्कशापों में ७,०३८।

सरदार हुक्म सिंह : वह कौन से भाग हैं जिन्हें हम अभी तक इस कारखाने में नहीं बना सके हैं ?

श्री जगजीवन राम : केवल कुछ थोड़े से भाग विशेषकर डायल (अंकपटिका) और कंडेन्सर (संघनक) नहीं बना सके हैं।

सरदार हुक्म सिंह : हम उन्हें कब तक यहां बनाने की आशा करते हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है : हमारे पास कच्चा माल तथा मशीनरी नहीं है। हम ने मशीनरी के आयात के लिये पहले ही आदेश दे दिये हैं और जैसे ही हमें मशीनरी मिल जायेगी हम इन भागों को बना सकेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या गत वर्ष कोई उत्पादन लक्ष्य था और क्या उस में सफलता प्राप्त हुई थी ?

श्री जगजीवन राम : जी हां श्रीमान्, इस वर्ष हमने २१,६२८ पूरे यंत्र बनाये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : अगले वर्ष आप कितने यंत्रों को बनाने की आशा करते हैं ?

श्री जगजीवन राम : हमें इस से अधिक बनाये जाने की आशा हैं।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि टेलीफोनों के मामले में भारत कब आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लें।

चित्तरंजन इंजन निर्माण वर्कशाप

***३६. सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चित्त-रंजन में इंजन निर्माण वर्कशाप को स्थापित करने का कार्य अब तक पूरा हो गया है ?

(ख) जब कार्य आरम्भ किया गया था तो अनुमानित व्यय क्या था ?

(ग) इस को स्थापित करने में वास्त-विक व्यय कितना हुआ है ?

(घ) इस की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां। यह कार्य प्रायः पूरा हो गया है।

(ख) १४·०६ करोड़ रुपये।

(ग) फरवरी १९५२ के अन्त तक व्यय १३·०२ करोड़ रुपये हुआ है तथा आयात की गई मशीनरी, उपकरण आदि के बिलों का अभी तक भुगतान इसलिये नहीं किया जा सका है क्योंकि वह प्राप्त ही नहीं हुए थे और वह मूल्य अभी दिया जाना है। नवीनतम अनुमानित व्यय १४·९३ करोड़ रुपये हैं।

(घ) संस्थापित क्षमता १२० इंजन और ५० बायलर प्रतिवर्ष है।

श्री के० के० बसु : अध्यक्ष महोदय, क्या आप कृपया सरकारी बैंचों पर बैठे सदस्यों से यह कहेंगे कि वह प्रश्नों के अपने उत्तर ज़रा जोर से दें ? हमें उन की बात समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनकी बात समझ नहीं सकते हैं तो मैं उन से उत्तर को फिर से दुहराने के लिये कहूंगा।

बाबू राम नारायण सिंह : किन्तु उन्हें ज़ोर से बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस विषय में कोई उक्ति न दी जाय। मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर कोई चर्चा हो।

मैं समझता हूं कि एक संसदीय विज्ञप्ति (बुलेटिन) में इस विषय का उल्लेख किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने संसदीय विज्ञप्ति की अपनी प्रति को ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं है। उस में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सदन में ध्वनि विस्तारक व्यवस्था का प्रबन्ध है और इस में केवल ठीक प्रकार से सुनने का तरीका आना चाहिये। कठिनाई तो यह है कि बहुत बार बहुत से वक्ता माइक्रोफोन (ध्वनि प्रसारक यंत्र) पर जोर से बोलते हैं और यह समझते हैं कि केवल मात्र ऐसा ही करने से ध्वनि सुनाई दे सकती है। इस से तो केवल शोर ही होता है और आवाज के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता। प्रश्न काल में से कुछ समय ले कर भी मैं सभी माननीय सदस्यों के लाभ के लिये इसे पढ़ूंगा। संसदीय विज्ञप्ति की पद संख्या ३५ में यह कहा गया है कि—

"सदैव यथासंभव स्पष्ट रूप से बोलिये और जितना धीरे बोला जाय उतना ही उत्तम है।"

सदन को यह भी मालूम होना चाहिये।

"इस प्रकार बोलिये जैसे कि आप एक बड़ी सभा में भाषण दे रहे हों और आवाज ऐसी हो जो आप के

चारों ओर ८ या १० फुट तक सुनाई दे सके ।

सदा ही अध्यक्ष को, जो कि सदन के फर्श के मुकाबिले में उच्च आसन पर बैठते हैं, संबोधित करके बोलिये और बोलते समय नीचे मत देखिये । यदि मुख की ऊंचाई के स्तर पर बोला जाय तो आवाज़ अच्छी प्रकार से सुनाई देती है और खड़े होने पर यदि मुख स्तर से मुंख को थोड़ा ऊंचे कर के बोला जाय तो आवाज़ और भी अच्छी प्रकार से सुनाई देगी ।"

अतः यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष को देखने का प्रयत्न करें और उसी ऊंचाई के स्तर पर बोलें तो सभी को आवाज सरलता पूर्वक सुनाई देगी । यदि मुख की ऊंचाई के स्तर से बोला जाय तो आवाज़ अच्छी सुनाई देती है और खड़े हो कर बोलने में यदि मुख स्तर से थोड़ा सा ऊंचा बोलने से और भी अच्छी सुनाई देती ह। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि माइक्रोफ़ोन को किस प्रकार से ठीक रखा जाता है ।

श्री वैलायुधन : सरकारी बचों को भी इस का ध्यान रखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

"भाषण के बीच में उद्ध रण पढ़ते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिये ।

पीछे मत देखिये, मेज़ों अथवा माइक्रोफ़ोन स्टेंड्स को उंगलियों अथवा पेंसिलों से मत खटखटाइये । यद्यपि यह खटखटाहट उस स्थान पर नहीं सुनाई देती है, किन्तु इसके कारण ध्वनि व्यवस्था में गड़बड़ी होती है ।"

अतः एक कारण यह भी है कि माननीय सदस्यों से, इतने अधिक शान्त रहने कि एक दूसरे से कानाफूसी भी न करें, आशा की जाती है, क्योंकि उनकी कानाफूसी के शब्दों से ध्वनि व्यवस्था में पूरी तरह से गड़बड़ी पैदा होती है और यह भी एक कारण है जिससे कि माननीय सदस्य उत्तरों को सुन नहीं सकते हैं । फिर--

"जब आप किसी अन्तर्बाधा का भी उत्तर दे रहे हों, जो कि आप के पीछे की ओर से की गई हो अथवा सदन के किसी अन्य भाग से की गई हो, उस समय भी आप अध्यक्ष महोदय की ओर ही देखिये । अपने मस्तिष्क से माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकरों के विचार को निकाल दीजिये ।" [अन्तर्बाधा]

इस समय कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है । शान्ति, शान्ति । यदि माननीय सदस्य को सुनाई नहीं देता है तो वह सुनने का अधिक प्रयत्न करेंगे और अपने पास के सदस्यों से बातचीत न करने का निवेदन करेंगे, और यदि वह फिर भी नहीं सुन सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री से कुछ अधिक ज़ोर से बोलने के अथवा उत्तर को फिर से दुहराने के लिये कहूंगा । किन्तु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सदस्यों को पूर्णरूप से शान्त रहना चाहिये । इस प्रकार की ध्वनि व्यवस्था में, सदस्यों का कानाफूसी करना या बातचीत करना या मेज़ों को धीरे धीरे खटखटाना असम्भव है और इस पर भी यह आशा करना कि इसके कारण कोई गड़बड़ी नहीं होगी और वक्ता की आवाज़ सदन के प्रत्येक भाग में सुनाई देगी और भी असम्भव है । इसी कारण हम ने इस बात का संसदीय विज्ञप्ति

में विशेष उल्लेख करना आवश्यक समझा था ।

अब हम अग्रेतर कार्यवाही करें ।

श्री के० के० बसु : चूंकि मंत्री महोदय स्वयं भी ध्वनि व्यवस्था से परिचित नहीं हैं अतः मैं निवेदन करता हूं कि उस उत्तर को दुहरा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : आप को विस्तृत विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं मंत्री महोदय से उत्तर को दुहराने के लिये कह रहा हूं ।

श्री एल० बी० शास्त्री : (क) जी हां । यह कार्य प्रायः पूरा हो गया है ।

(ख) १४·०६ करोड़ रुपये ।

(ग) फ़रवरी १९५२ के अन्त तक व्यय १३·०२ करोड़ रुपये हुआ है तथा आयात की गई मशीनरी, उपकरण आदि के बिलों का अभी तक भुगतान इसलिये नहीं किया जा सका है क्योंकि वह प्राप्त ही नहीं हुये थे और वह मूल्य अभी दिया जाना है । नवीनतम अनुमानित व्यय १४.९३ करोड़ रुपये है ।

(घ) संस्थापित क्षमता १२० इंजन और ५० बायलर प्रतिवर्ष है ।

सरदार हुक्म सिंह : वर्ष १९५१-५२ में कितने इंजन, सवारी गाड़ी के डब्बे तथा मालगाड़ियों के डब्बे बनाये गये ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस की पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : इस उत्पादन के लिये जितने लोहे की आवश्यकता थी क्या वह देसी संसाधनों से प्राप्त किया था, अथवा इस का कुछ भाग विदेशों से आयात किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों तक आप को पूर्वसूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या हम कोई एक ऐसा इंजन बना सके हैं जिस के सब भाग भारत में बने हों ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, अभी तक नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या कोई ऐसा इंजन बनाया जा सका है जिस के कुछ भागों का आयात किया गया हो और कुछ भाग भारत में बनाये गये हों ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं . .

[**अन्तर्बाधा**]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना चाहता । मैं देखता हूं कि मेरे चेतावनी देने पर भी वह खड़े हो रहे हैं और मेरे द्वारा उनका नाम न पुकारे जाने पर भी तुरन्त बोलना आरम्भ कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, भ्रमपूर्ण धारणा में सुधार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

भाग ख में के राज्यों में परामर्शदाता

*३७. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान की धारा ३७१ के अन्तर्गत भाग ख में के राज्यों में नियुक्त किये गये परामर्शदाताओं का क्या कार्य है ?

(ख) क्या यह परामर्शदाता अपना परामर्श तब देते हैं जब वह अपेक्षित होता है अथवा क्या उन का परामर्श उन राज्यों पर, जिन में वह नियुक्त होते हैं, बाध्य होता है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जैसे कि २५ फरवरी १९५२ को मेरे पूर्वाधिकारी ने सदन में यह बात स्पष्ट की थी क इन पदाधिकारियों का कार्य राज्य सरकारों को परामर्श देना होगा।

(ख) हमारा अभिप्राय यह है कि उन विषयों के सम्बन्ध में, जिन में कि परामर्शदाताओं से परामर्श लिया जायगा तथा इस प्रकार के परामर्श की विधि तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में कार्यकारी की व्यवस्था परामर्शदाता तथा मुख्य मंत्री के बीच होने वाली पारस्परिक चर्चा से निर्धारित की जायगी और भारत सरकार के परामर्श से इसे अन्तिम रूप से निश्चित किया जायेगा। महत्वपूर्ण विषयों में मतभेद होने पर परामर्शदाता भारत सरकार को इस विषय का निर्देश कर सकता है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि कितने अवसरों पर परामर्श दाता ने भारत सरकार के राज्य मंत्रालय को परामर्शदाता तथा पेप्सू के लोक प्रिय मंत्रिमंडल के बीच होने वाले मतभेद के कारण मामला निर्दिष्ट किया है ?

डा० काटजू : विगत वर्षों से सम्बन्धित संख्या मैं नहीं बता सकता।

सरदार हुक्म सिंह : मैं तो केवल पेप्सू मंत्रिमंडल के, उस लोक प्रिय मंत्रिमंडल के, जो पिछले दो महीनों में बना है, सम्बन्ध में संख्या जानना चाहता हूं।

डा० काटजू : ऐसे एक या दो अवसर हुए होंगे।

श्री ए० एम० टामस : वह कौन से राज्य हैं जिन में परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं ?

डा० काटजू : भाग ख में के राज्य।

श्री ए० एम० टामस : सभी भाग ख में के राज्यों में ?

डा० काटजू : परामर्शदाता भाग ख में के राज्यों में नियुक्त किये गये हैं। कुछ में वह अभी नियुक्त नहीं किये गये हैं और कुछ में नियुक्त कर दिये गये हैं।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं एक निश्चित उत्तर चाहता हूं। वह कौन से राज्य हैं जिन में परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये हैं ?

डा० काटजू : परामर्शदाता सौराष्ट्र; राजस्थान; मध्य भारत; तथा हैदराबाद में नियुक्त किये गये हैं—जो सज्जन वहां नियुक्त किये गये थे वह छुट्टी पर चले गये हैं। ट्रावनकोर-कोचीन में अभी तक कोई नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य को अनुच्छेद ३७१ के प्रवर्त्तन से विमुक्त कर दिया गया है ?

डा० काटजू : मैसूर।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि विमुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य ने भी आवेदन किया है ?

डा० काटजू : इस प्रश्न का उत्तर "हां" या "न" में देना कठिन है। इस सम्बन्ध में कुछ विचार-विमर्श हो रहा है।

श्री एन० एस० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने संविधान बनाते समय ट्रावनकोर-कोचीन को अनुच्छेद ३७१ से विमुक्त देने के सम्बन्ध में इस सदन में जो वचन दिया था क्या उसे पूरा करने के लिये वह तय्यार है।

डा० काटजू : मुझे उस प्रकार के किसी विशेष वचन का पता नहीं है।

डाक्टर जयसूर्य : क्या इन परामर्शदाताओं की प्रार्थनायें पुराने, ब्रिटिश रेज़ीडेंटों की आज्ञा के समान हैं ?

डा० काटजू : बिल्कुल नहीं ।

डाक्टर जयसूर्य : क्या यह सत्य है पुलिस महा संचालक तथा मुख्य सचिव को परामर्श-दाता तथा राज्य मंत्रालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जा सकता है ?

डा० काटजू : विगत काल में ऐसा होगा । हम पूरी प्रक्रिया का पुनरीक्षण करना चाहते हैं और पूरी प्रक्रिया विचाराधीन है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस राज्य का मैं निवासी हूं उस राज्य में किसी परामर्श दाता को नियुक्त करने का विचार था और क्या इसे आन्दोलन के कारण छोड़ दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन राज्यों में परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं उन में से किसी राज्य ने भारत सरकार से अनुच्छेद ३७१ से विमुक्ति दिये जाने के लिये प्रार्थना की है ।

डा० काटजू : मैं ने पहले ही बता दिया है कि इस सम्बन्ध में कई आवेदन किये गये हैं, किन्तु आवेदन करना एक बात है तथा उस पर विचार-विमर्श करना बिल्कुल भिन्न बात है ।

बी० सी० जी० के टीकों की योजना

***३८. डा० राम सुभग सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगी जिन में बी० सी० जी० के टीकों की योजना लागू की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : **बी० सी० जी० टीकों की योजना कुर्ग, बिलासपुर, त्रिपुरा तथा अण्डमान को छोड़-कर सब राज्यों में लागू की जा रही है ।** पहिले तीन राज्यों में भी यह कार्यक्रम शीघ्र ही चालू कर दिया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जान सकता हूं जिन्हें अब तक बी० सी० जी० के टीके लगाये गये हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं समझती हूं कि लगभग २५ लाख व्यक्तियों के लगे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में क्या सरकार के पास हर राज्य से कोई रिपोर्ट आती है और यदि आती है तो कितने महीनों में ?

राजकुमारी अमृत कौर : रिपोर्ट्स तो मेरे पास आती रहती हैं; लेकिन मेरे लिये यह कहना मुश्किल है कि कितने महीनों में आती है । लेकिन जहां जहां बी० सी० जी० वैक्सिनेशन (टीके) होते हैं, वहां से यह मालूम होता है कि कितनों को टीके लगाये गये हैं । और जहां हम फालो अप (यह कार्य) कर सकते हैं वह भी किया जाता है ।

श्री बी० दास : क्या यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री हिन्दी में उत्तर दें जब कि वह अंग्रेजी बहुत भली भांति बोलती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह तो उन की अपनी पसन्द है, और इसके अतिरिक्त यह तो अच्छा ही है कि हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाय । आखिरकार सदस्यों को हिन्दी सीखनी ही है जो कि राज भाषा है ।

बाल संकट सहायता निधि

***३९. श्री वैलायुधन** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि वर्ष १९५१ में भारत में बाल संकट सहायता निधि में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) सन् १९५१ में कितने शिशुओं को पीने के लिये दूध दिया गया था ?

(ग) सन् १९५१ में भारत में बच्चों के पालन के लिये कुल कितना धन व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत में बाल संकट सहायता निधि कोई नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट सहायता निधि की सहायता से इस देश में आरम्भ किये गये स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निर्देश कर रहे हैं। एक विवरण, जिस में भारत में यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के कार्यक्रमों का विशेष ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ख) जुलाई १९५० तथा दिसम्बर १९५१ के मध्य वितरण के लिये दूध प्राप्त हुआ था। जितने बच्चों को यह दूध पीने के लिये दिया गया था उन की संख्या लगभग १,१२,४०,००० है।

(ग) बच्चों को पीने के लिये जो दूध दिया गया था वह ८८,००,००० पौंड था। इस दूध पर यू० एन० आई० सी० ई० एफ० का कुल व्यय १८४,२८० डौलर हुआ। इसके परिवहन, इकट्ठा करने तथा वितरण पर हुआ व्यय उन राज्यों को देना पड़ा जिन को यह दूध दिया गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस निधि के लिये क्या भारत सरकार कोई अंशदान देती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हम किसी विशेष निधि के लिये कोई अंशदान नहीं देते हैं; किन्तु यू० एन० आई० सी० ई० एफ० को संस्था के रूप में हम अंशदान देते हैं।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस दूध का कुछ भाग कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लाभ के लिये भी दिया जाता है?

राज कुमारी अमृत कौर : जी हां। कारखानों के मजदूरों के बच्चों को दूध दिया जाता है।

श्री धुलेकर : क्या यू० एन० आई० सी० ई० एफ० की दी हुई आवश्यक वस्तुओं को विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है अथवा किसी अन्य आधार पर वितरित किया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हम राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार वितरण करते हैं। मेरे विचार से यह जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। प्रायः विपत्ति-ग्रस्त क्षेत्रों, यथा बिहार, आसाम और मद्रास में रायल सीमा को हम सभी कुछ जो कुछ भी हमारे पास होता है, भेज देते हैं।

श्री धुलेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : धन नहीं दिया जाता है; दूध दिया जाता है। माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं, वह उत्तर में दिये गये विवरण में दी हुई है। यदि वह और अधिक सूचना चाहते हैं तो मैं उन्हें वह सहर्ष दूंगी।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों द्वारा इस दूध के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस के दुरुपयोग के विषय में हमें न केवल कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली है, अपितु हमें इस दिये गये

दूध के सम्बन्ध में कृतज्ञता के पत्र मिले हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह दुग्ध चूर्ण के रूप में अमरीका से आयात किया जाता है अथवा यह यहां की गायों का ताज़ा दूध होता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह दूध अमरीका से आता है, यह दुग्ध चूर्ण ही होता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह दूध उतना ही उत्तम है जितना कि ताजा दूध होता है अथवा यह कुछ हीन प्रकार का होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें इस विषय के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

राजकुमारी अमृत कौर : निस्संदेह यह दूध हमें यहां जो मिश्रित दूध मिलता है उस से कहीं उत्तम है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जो एजेन्सियां इस दूध को त्रावनकोर-कोचीन में वितरण कर रही हैं वह इस का दुरुपयोग कर रही हैं और इस दूध के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत से समाचार प्रकाशित हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार के एक पक्षी आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा । क्या आप इस को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ? क्या आप ने इस बात की जांच की है ? यदि की है और यदि आप अपनी बात को निश्चित रूप से जानते हैं, तो आप इसे सम्बद्ध मंत्री महोदय को सूचित कर दीजिये । संसद् के एक उत्तरदायी सदस्य होने के नाते .....

श्री वैलायुधन : इस आरोप के सम्बन्ध में, यहां मेरे पास समाचार पत्रों से काटे गये कुछ लेखे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इन तथ्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिये तय्यार नहीं हैं तो आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते ।

श्री वैलायुधन उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नम्बियार : मैं कई विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि प्रत्येक सदस्य को, जो प्रश्न पूछना चाहता है, बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता । पांच सौ सदस्यों में से एक सदस्य आप भी हैं । मैं सभी को प्रश्न करने का यथासम्भव अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं । परन्तु जब मैं यह देखता हूं कि वही सदस्य प्रत्येक विषय पर बार बार उठ खड़े होते हैं तो मेरे ऊपर कुछ विपरीत प्रभाव होता है और तब मैं यह सोचता हूं कि मुझे यह अवसर किसी अन्य सदस्य को देना चाहिये । माननीय सदस्य का कार्य तो जब वह प्रश्न करना चाहें तो खड़े होने मात्र का ही है, और जब उन से कहा जाय तभी वह प्रश्न पूछें—अन्यथा नहीं ।

श्री नम्बियार उठे—

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई तर्क नहीं चाहता, इस बात से माननीय सदस्य चाहे जो भी बात सीख सकते हैं ।

राशन वाले खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि

*४०. **श्री बी० के० दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) खाद्य सहायता को वापस ले लेने से राशन वाले खाद्य पदार्थों के दामों क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इस के परिणामस्वरूप किस राज्य में, किस खाद्य पदार्थ पर और किस सीमा तक दामों में वृद्धि हुई है; तथा

(ग) मूल्य में हुई वृद्धि के विरुद्ध किन राज्य सरकारों ने कार्यवाहियां की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस के कारण, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को छोड़ कर जहां राज्य सरकारों ने सहायता योजना के वापस लिये जाने से पूर्व के सरकारी प्रचलित विक्रय दामों को वैसे ही बनाये रखा है, राशन वाले खाद्यान्नों के सरकारी विक्रय मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने पहले के सरकारी विक्रय दामों को वैसे ही बनाये रखा है, बम्बई और मैसूर की सरकारें बाजरे को लागत से कम मूल्य पर बेच रही हैं ।

श्री बी० के० दास : विवरण से मुझे पता चलता है कि मोटे चावल के दाम में हुई वृद्धि विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है । जब कि बिहार (जमशेदपुर) में इस का दाम ११ रुपये १५ आने है, पश्चिमी बंगाल में इस का दाम १० रुपये है । क्या मैं दामों में हुई वृद्धि की इस विभिन्नता के कारण जान सकता हूं ?

श्री किदवई : राज्य कभी तो चावल का समाहार करते हैं और कभी अन्य प्रान्तों से अथवा विदेशों से इस का आयात करते हैं । फिर वह मूल्यों का मध्यमान करते हैं और अपने संसाधनों के अनुसार मूल्य निश्चित करते हैं । कुछ उस में कुछ आर्थिक सहायता भी देते होंगे, और कुछ उसे उसी दामों पर बेचते होंगे--जिस दाम पर उस का समाहार किया गया है ।

श्री बी० के० दास : गेहूं के मामले में तो वृद्धि सर्वत्र एक समान है । इस से क्या मैं यह समझूं कि वह ७ रुपये की वृद्धि वह आर्थिक सहायता है जो पहिले ही दी जाती थी ?

श्री किदवई : यह हो सकता है ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले में अपनी नीति बदलने का है ?

श्री किदवई : हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम स्थानीय अनाज का समाहार कर के अथवा किसी अन्य प्रकार से दामों को कम कर सकते हैं । यह मामला विचाराधीन है और मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चय कर लिया जायेगा ।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि देसी खाद्यान्नों के समाहार मूल्य दूसरे देशों से आयात किये गये उसी प्रकार अथवा उस से उत्तम किस्म के खाद्यान्नों के मूल्य से कहीं कम हैं ?

श्री किदवई : यह सत्य है, क्योंकि आयात मूल्य वह मूल्य है जो कि उन देशों में प्रचलित है जहां से गेहूं या चावल का आयात किया जाता है ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार के समक्ष अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जिस से कि वह इन बढ़े हुए दामों में अपना निर्वाह कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न कदाचित् ही संगत हो सकता है, यद्यपि यह पूर्णरूपेण असंगत नहीं है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि खाद्य सहायता के वापस लिये जाने के कारण मूल्य स्तर ऊंचा बना रहेगा और इस से केवल उद्योगपतियों का ही लाभ होगा ?

श्री किदवई : मैं ने उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है । बिहार के मूल्य उस विवरण में दिये हुए हैं जो सदन पटल पर रखा गया है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त है कि खाद्य सहायता के वापस लिये जाने के कारण बिना राशन वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा हैं ?

श्री किदवई : कुछ स्थानों पर इस से प्रभाव पड़ा है; कुछ स्थानों पर नहीं पड़ा है ।

श्री टी० ऐन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या तीनों प्रकार के मूल्य जो कि प्रचलित थे, (उदाहरण के लिए बम्बई में) अर्थात् समाहार मूल्य, आयात किये गय अनाज का मूल्य तथा सुदूर वर्त्ती ग्रामों के मूल्य, आर्थिक सहायता के वापस लिये जाने के पश्चात् भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, अथवा जहां तक राशन वाले नगरों का सम्बन्ध है वह बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई : राशन वाले क्षेत्रों में, जहां पर आर्थिक सहायता के कारण दाम कम हो गये थे, दाम बढ़ गये हैं ।

गंगा का पुल

***४१. श्री बी० आर० भगत :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गंगा पर पुल कहां बनाया जायगा इस सम्बन्ध में श्री विश्वेश्वरप्या की सिपारिश क्या सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हुई है, तो क्या इस प्रश्न पर सरकार ने कोई अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की कब से सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री बी० आर० भगत : इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं समझता हूं बहुत शीघ्र ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि गंगा पर पुल मुकामा घाट पर बनाया जाना निश्चित किया गया था, वह कौन सी बातें थीं जिन के कारण इस समिति को नियुक्त किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह इतिहास का पुराना मामला ह : सदन, में ऐसे बहुत से प्रश्न किये गये थे ।

श्री एस० एन० दास : मैं उन कारणों को जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हो कि आप इस विषय के पूरे अभिलेख पढ़ लें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति से कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, किन्तु अभी इस की अग्रेतर जांच हो रही है ।

श्री एम० खुदा बख्श : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान, कुछ दिन हुए प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट की ओर, कि पुल बनाने का स्थान अन्तिम रूप से फरख्खा को ही चुन लिया गया है, दिलाया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक कोई स्थान नहीं चुना गया है । वास्तव में इस के लिये चार स्थान हैं, और इस मामले में समिति को अन्तिम निर्णय करना है, और जैसा कि मैं ने कहा शायद वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि मुकामा घाट को पुल बनाने के लिये चुने जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार करने पर कितना व्यय हुआ था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस समय मैं वह आंकड़े नहीं बता सकता, किन्तु यदि माननीय सदस्या सूचना चाहती हैं तो मैं उन्हें बाद में दे सकता हूं ।

रेलों में पुलिस व्यवस्था

***४२. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी रेलवे पुलिस विभाग रात्रि में यात्रा करने वाले यात्रियों की रक्षा करने के हेतु रेल गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस तथा जासूस रखेगा ; तथा

(ख) क्या इस प्रकार के प्रबन्ध अन्य रेलों में भी किये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां । बम्बई राज्य में पश्चिमी रेलवे की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में कुछ सशस्त्र पुलिस तथा जासूस दल चलते हैं । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नियुक्त विशेष पुलिस दल द्वारा बड़े स्टेशनों से रात को जाने वालीं रेलगाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है ।

(ख) अन्य रेलों के ऐसे भागों में, जो कि आवश्यक समझे जाते हैं, ऐसे प्रबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं ।

टिड्डी दल का आक्रमण

***४३. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य ह कि लन्दन स्थित टिड्डी विनाश अनुसन्धान केन्द्र ने यह पहले से ही सूचित कर दिया था कि मई के महीने में पूर्वी अरब तथा ईरान की ओर से भारत पर टिड्डी दल के आक्रमण होने की सम्भावना है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो टिड्डी दल के इस आक्रमण के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार स्थिति की गम्भीरता से परिचित है । सरकार ने सन् १९३९ से एक केन्द्रीय टिड्डी दल आक्रमण सूचक संगठन बना रखा है । सन् १९४९ से प्रारम्भ होने वाले इस वर्तमान टिड्डी दल के आक्रमण से इस संगठन में वृद्धि कर दी गई थी और सन् १९५०-५१ में इस में एक नियंत्रक शाखा जोड़ दी गई । टिड्डी विभीषिका का सामना करने के लिये कर्मचारीवर्ग तथा आवश्यक उपकरणों में वृद्धि की जा चुकी है । सब प्रकार के उपकरणों यथा शक्ति से चलने वाले पाउडर छिड़कने वाली मशीनें लैण्ड रोवरों, बेतार यंत्रों, यातायात के

लिए मोटर गाड़ियां तथा आवश्यक कृमि नाशक औषधियों की व्यवस्था की जा रही है। सब प्रभावित राज्य भी, इस स्थिति का सामना करने के लिये इसी प्रकार के टिड्डी विनाशक संगठनों की स्थापना कर रही हैं। सन् १९५१-५२ में संघ सरकार ने टिड्डी विनाशक कार्यों पर कुल व्यय २७ लाख रुपये के लग भग किया था ।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि इन में से कितनी मशीनें टिड्डियों को नष्ट करने के लिये विदेशों को दे दी गई हैं ?

श्री किदवई : इस में विदेशों को मशीनें देने का प्रश्न तो है ही नहीं। एक ऐसा समाचार मिला है कि टिड्डी दल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया है, और इस की अपेक्षा कि उन्हें भारत में आने दिया जाय उन का वहीं नष्ट कर दिया जाना हमारे हित में ही है। अतः हम उसे सब प्रकार की सहायता जो हम सम्भवतः दे सकते हैं, दे रहे हैं।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या टिड्डियों को नष्ट करने के मामले में पाकिस्तान पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है ?

श्री किदवई : निस्सन्देह ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि इस मामले में हम ईरान को किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में टिड्डियों के जैविकीय नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है ?

श्री मेघनाद साहा उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री को उत्तर देने दिया जाय।

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि डा० मेघनाद साहा इस का भली भांति उत्तर दे सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं ने माननीय मंत्री से प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं उन्हें बता रहा हूं। हम यहां वैज्ञानिकों के सम्मेलन के रूप में अपनी बैठक नहीं कर रहे हैं।

खाद्य में आत्म निर्भरता

***४४. श्री झुनझुनवाला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : योजना आयोग ने उत्पादन में वृद्धि के जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं यदि उन को प्राप्त कर लिया जाय तो उन की योजना की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है ।

श्री झुनझुनवाला : वह कौन सी कठिनाइयां हैं जिन के कारण सरकार को सन् १९५२ में आत्म निर्भर होने के लक्ष्य का पुनरीक्षण कर के उसे उस समय तक के लिये निर्धारित करना पड़ा जब तक यह योजना सफल न हो जाय ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य ने लक्ष्य के विषय में पूछा था। लक्ष्य तो योजना आयोग की रिपोर्ट में दिया हुआ है, जिस के विषय में मैं समझता हूं कि यहां चर्चा भी हुई थी। लक्ष्य यह है। हमें यह आशा करनी चाहिये कि योजना आयोग की योजना ठीक प्रकार से चलेगी और योजना की अवधि की समाप्ति तक हम खाद्य के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ सका हूं तो माननीय सदस्य सन् १९५२ के आंकड़े पूछना चाहते थे--सन् १९५२ की अनुमानित आवश्यकतायें क्या हैं और जितने खाद्यान्न की आशा की जाती है उस की मात्रा कितनी है। क्या यही बात है ?

श्री झुनझुनवाला : मैं तो उन कठिनाइयों को जानना चाहता हूं जिन के कारण सरकार को अपने लक्ष्य में परिवर्तन करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक नया प्रश्न होगा ।

श्री किदवई : सन् १९५१-५२ का हमारा उत्पादन-लक्ष्य १४·१३ लाख टन था। अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि हम ने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है अथवा इस में कुछ कमी रही है ।

श्री झुनझुनवाला : प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है जिसे सरकार ने योजना आयोग के अनुसार, आंकड़े तैयार करते समय ध्यान में रखा है ?

श्री किदवई : प्रति दिन प्रति व्यक्ति चौदह औंस ।

श्री झुनझुनवाला : भारत में युद्ध-पूर्व दिनों में प्रति व्यक्ति उपभोग की तुलना में यह कितना है ?

श्री किदवई : मैं यह अभी नहीं बता सकता ।

श्री चट्टोपाध्याय : माननीय मंत्री ने कहा "योजना आयोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं यदि उन को प्राप्त कर लिया जाय।" क्या मैं उन से यह जान सकता हूं कि यह "यदि" शब्द कितना बड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती काले।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि सन् १९५२ में वह खाद्य के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगी ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि यह विगत इतिहास का विषय है। उस वर्ष हमें पूर्व वर्ष की अपेक्षा अधिक अन्न का आयात करना पड़ा था।

श्रीमती ए० काले : क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं समझा जाता कि हम भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा दिये गये वचनों का पालन करें ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

कलकत्ता पत्तन

***४५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४५-४६ तथा १९५१-५२ में कलकत्ता पत्तन से कितने टन माल का आयात और निर्यात किया गया;

(ख) इन दो वर्षों में कौन कौन सा मुख्य माल लाया और ले जाया गया ; तथा

(ग) इन दो वर्षों में पत्तन की शुद्ध आय कितनी हुई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री एस० सी० सामन्त : इन दो वर्षों में दोनों में आयात तथा निर्यात में, कमी होने का क्या कारण है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह कमी मुख्यतः दो कारणों, युद्ध के बन्द होने तथा सन् १९५१-५२ में खाद्यान्नों के अधिक आयात किये जाने से हुई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह कमी लगातार हो रही है या इस में उतार चढ़ाव भी हो रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अन्य वस्तुओं में तो यह बढ़ गई है और इन दो में यह कम हो गई है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : आयात किये गये पूंजीगत माल की प्रतिशतता कितनी है और अधिकतर यह किस देश से आयात किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि आप विवरण को देखें तो आप इस की प्रतिशतता का हिसाब लगा सकेंगे ।

श्री एस० सी सामन्त : विवरण से मुझे यह पता लगता है कि सन् १९५१-५२ के अन्त में घाटा हुआ है । मैं जान सकता हूं कि क्या आकलित राजस्व के इस घाटे को, बोरों, खाद्यान्नों तथा कच्ची धातुओं के नौ-परिवहन पर आधारभूत नदी शुल्क को बढ़ा कर पूरा किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम कोयले पर शुल्क ४ पाई से ६ पाई तक प्रति मन बढ़ाना चाहते हैं, और इस प्रकार हम इस घाटे को पूरा कर सकेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि नौ-परिवहन कम्पनियों तथा व्यापारिक संस्थाओं से, हुगली नदी में पत्तन सीमा के अन्दर नौ-परिवहन के सम्बन्ध में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के विषय में, जिस के कारण यह घाटा होता है, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे खेद है कि मुझे यह ज्ञात नहीं ।

चीन तथा रूस से गेहूं और चावल का आयात

*४६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में चीन और रूस ने चावल और गेहूं कितनी मात्रा में दिया था;

(ख) उसी अवधि में उन की कितनी मात्रा खरीदी गई और कितनी का आयात किया गया; तथा

(ग) उन दो वर्षों में (पृथक् पृथक्) चावल के लिये अन्य देशों को दिये गये चावल के मूल्य की तुलना में हमें इस चावल का कितना मूल्य देना पड़ा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में चीन ने ५०,००० टन तथा १६,५०० टन चावल क्रमशः दिये । सन् १९५०-५१ में रूस ने कुछ नहीं दिया । सन् १९५१-५२ में रूस ने एक लाख दशमिक टन गेहूं दिये ।

(ख) जितनी कुल मात्रा दी गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया था और उस का आयात किया गया था ।

(ग) सन् १९५०-५१ में चावल के लिये चीन से जो सौदा हुआ था वह पटसन के सामान के वस्तुविनिमय आधार पर था; परन्तु सन् १९५१-५२ का सौदा नकद भुगतान के आधार पर हुआ था । चावल के लिये जो दाम चीन अथवा अन्य देशों को दिये गये थे उन्हें बताना जनहित में नहीं होगा । चूंकि चावल की किस्म प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः एक देश के चावलों के मूल्य की दूसरे देश के चावलों के मूल्य से तुलना करना उचित नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान, चीन द्वारा चावल निर्यात न किये जाने के सम्बन्ध में मद्रास के खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ?

श्री किदवई : जी हां । इस प्रकार का एक वक्तव्य तो दिया गया था किन्तु वास्त-

विक बातें वही हैं जो मैं ने अपने उत्तर में बताई हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उस वक्तव्य का खण्डन करने के लिये सरकार ने कोई वक्तव्य दिया है ?

श्री किदवई : जी हां, उसका खण्डन करने वाला एक वक्तव्य दिया गया था ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रूस द्वारा दिये गये गेहूं की एक बड़ी मात्रा को खाद्य मंत्रालय ने गतवर्ष तथाकथित गोदामों की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया था ?

श्री किदवई : १००,००० टन दिया गया था और वह ले लिया गया था ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह सत्य नहीं है कि गेहूं देने की मूल प्रस्तावना पांच लाख टन की थी जिस में से केवल १००,००० टन ही आया था क्योंकि भारत सरकार ने रूस के व्यापारी प्रतिनिधि को यह बताया था कि उसके पास गेहूं जमा करने के लिये गोदाम नहीं थे ?

श्री किदवई : हमें जितने की आवश्यकता थी उतना हमें मिल गया । इसलिये और अधिक के आयात करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि चीन से आयात करने के लिये अच्छी क़िस्म के चावल की अपेक्षा घटया किस्म का चावल क्यों छांटा जाता है जिस के परिणाम स्वरूप चीन के चावल के विषय में यह धारणा हो जाती है कि वह घटिया कस्म का है ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य को यह विक्ति है कि हमारे देश में इस विषय सम्बन्धी शिकायतें पहले से ही हैं और आज पूछे गये अनपूरक प्रश्नों से यह मालम हो गया है कि आयात किये गये खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक हैं । अतः हम ने इसे उस मूल्य पर लेने का प्रयत्न किया जिस पर कि हम इसे बेच सकें अथवा इस में कुछ सरकारी सहायता देकर इस का मूल्य ऐसा रख सकें जिस से कि सामान्य व्यक्ति भी इसे खरीद सके ।

वायु-यातायात समवाय (आर्थिक सहायता)

***४७. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न भारतीय वायु-यातयात समवायों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की पुनरीक्षित मात्रा के विषय में कोई निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि कर लिया है, तो उस आर्थिक सहायता के विस्तृत विवरण क्या हैं; तथा

(ग) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में (वायु यातायात समवाय वार) विभिन्न भारतीय समवायों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई थी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आर्थिक सहायता का हिसाब लगाने की रीति के विषय में निश्चय कर लिया गया है । जो सहायता दी जानी है उसे पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है, यह प्रत्येक कम्पनी के कार्यों के आर्थिक परिणामों पर निर्भर होगी ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान पिछली संसद् में २८ फरवरी, १९५२ को डा० एम० एम० दास के द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के भाग (ग) के सम्बन्ध म दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । तब से, वायु-यातायात कम्पनियों की ओर से भारत के वायु यातायात संस्था (एयर ट्रान्सपोर्ट असोसियेशन आफ इण्डिया)

द्वारा किये गये अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि नई योजना को १ अक्तूबर सन् १९५१ के स्थान पर १ जनवरी १९५२ से लागू किया जाय और १ अक्तूबर से ३१ दिसम्बर तक की अवधि में निर्धारित वायु सेवाओं के संचालकों को काम में लाये गये पैट्रोल के प्रति गैलन ८ आने की समान दर से आर्थिक सहायता दी जाती रहनी चाहिये । यह भी निश्चय किया गया है कि नई योजना के अन्तर्गत काम में लाये गये पैट्रोल के प्रति गैलन पर ८ आने की अधिकतम सहायता का हिसाब सभी संचालकों को मिला कर दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता के आधार पर लगाय जाना चाहिये, और उसे प्रत्येक संचालक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर नहीं लगना चाहिये । दूसरे शब्दों में, कुछ संचालकों को होने वाली हानि यदि प्रति गैलन ८ आने से कम है तो शेष धन को अन्य संचालकों में, जिन्हें प्रति गैलन ८ आने से अधिक हानि हुई हो, अनुपात से बांट लिया जायेगा ।

(ग) मैं सदन पटल पर एक वक्तव्य रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि गर-अनुसूचित कम्पनियों को इस आर्थिक सहायता की सुविधा नहीं दी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : क्योंकि आशा की जाती है कि उन्हें लाभ होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : कितने मामलों में आर्थिक सहायता पैट्रोल दिये जाने के रूप में दी गई है ?

श्री जगजीवन राम : यह सूची में दिया हुआ है । विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त: प्रत्येक कम्पनी की आवश्यकताओं को स्वीकार करने में किन किन अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री जगजीवन राम : किसी अन्य बात का ध्यान नहीं रखा जाता है ।

अरनाकुलम क्विलोन रेलवे लाइन

***४८. कुमारी आनी मस्करीन :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक में अरनाकुलम-~~क्विलोन~~ रेलवे लाइन के लिये कितना धन रखा गया है ?

(ख) क्या सरकार नई रेलवे लाइन के लिये हाल ही में किये गये यातायात तथा इंजीनियरिंग परिमापन के परिणाम की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) इस लाइन को बनाने में तथा इस पर रेल गाड़ी चलाने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने के लिये सन् १९५२-५३ के पुनरीक्षित आयव्ययक में ४ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

(ख) परियोजना की यातायात तथा इनजीनियरिंग परिमापन की रिपोर्टों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं । **[रिपोर्टें पुस्तकालय में रख दी गई हैं । देखिये संख्या पी-१६/५२]**

रेलवे प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की जांच की जा रही है और उन में कुछ संशोधन हो सकता है ।

(ग) इस समय सरकार यह नहीं बता सकती कि यह लाईन कब बन जायेगी, क्योंकि यह बात निर्माण कार्य के स्वीकार किये जाने के समय, तथा वर्ष प्रति वर्ष मिलने वाले धन पर निर्भर है ।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि इंजीनियरिंग परिमापन के अतिरिक्त भूमि अर्जन के रूप में, कोई प्रारम्भिक कार्य किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक कुछ नहीं किया गया है किन्तु सरकार ने इस परियोजना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है और हमारा विचार इस कार्य को इसी वर्ष करने का है ।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि इस कार्य के लिए अपेक्षित सामग्री के लिये कोई व्यादेश दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : नहीं । अभी तक नहीं ।

प्रश्नोंके लखित उत्तर

अन्तर्देशीय जल यातायात पर्षद्

***४९. श्री ए० सी० गुहा :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई अन्तर्देशीय जल यातायात पर्षद् स्थापित किया गया है; तथा

(ख) यदि किया गया है, तो

(१) कब;

(२) इस का संगठन क्या है;

(३) इस के कार्य क्या हैं; तथा

(४) वह कौन सी नदियां हैं जिन में नौ-परिवहन संभव समझा जाता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी, हां । गंगा-ब्रह्मपुत्रा जल यातायात पर्षद् नाम का एक पर्षद् गंगा-ब्रह्मपुत्रा नदियों में नौ-परिवहन सम्बन्धी कार्यों में समन्वय करने के लिये स्थापित किया गया है ।

(ख) संकल्प की एक प्रति जो ८ मार्च १९५२ को जारी की गई थी और जिस में पर्षद् के संघटन तथा कार्यों का उल्लेख किय गया है, सदन पटल पर रखी जाती है ।

[**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६**]

नौ-परिवहन सम्भावना की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, भागीरथी, कोसी, घाघरा, गंडक, राप्ती, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी तथा कृष्णा हैं ।

डैकन एयरवेज़ (दुर्घटना)

***५०. डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ में डैकन ऐयरवेज़ के वायुयानों की कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) दुर्घटनायें कौन सी तिथियों को हुईं;

(ग) (१) जीवन हानि, (२) अत्यधिक घायल हुए तथा (३) कम घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(घ) इन दुर्घटनाओं के जो कारण अब तक मालूम हुए हैं वह क्या ह;

(ङ) क्या उन वायुयानों का बीमा कराया हुआ था, यदि कराया हुआ था तो प्रत्येक का कितने का बीमा कराया हुआ था ;

(च) कितनें यात्रियों का बीमा हुआ था,

(छ) प्रत्येक मामले में कुल कितनी हानि हुई ; तथा

(ज) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) दो ।

(ख) १९ फरवरी तथा ३० अप्रैल ।

(ग) (१) १२ व्यक्ति मर गये ।

(२) ११ अत्यधिक घायल हुए, तथा

(३) ३ कम घायल हुए ।

(घ) पहली दुर्घटना का कारण यह बताया जाता है कि रात्रि में वायुयान चालक जब विमान अवतरण करने का प्रयत्न कर रहा था तो उस ने गलत अनुमान लगाया । उस ने दूरी का गलत अनुमान लगाया और बहुनत अधिक नीचे उतर आया और वायुयान पेड़ से टकरा गया ।

दूसरी दुर्घटना की जांच हो रही है ।

(ङ) दोनों वायुयानों में से प्रत्येक का १,२५,००० रुपये का बीमा कराया हुआ था ।

(च) सूचना प्राप्त नहीं है ।

(छ) वायुयान तथा उन से ले जाये जाने वाला सामान दोनों ही नष्ट हो गये । इस नष्ट हुए सामान का मूल्य ज्ञात नहीं है । वायुयान के बाहर की कोई भी सम्पत्ति नष्ट नहीं हुई ।

(ज) एक विशेषज्ञ समिति ने पहली दुर्घटना की जांच की और उस ने कुछ सिपारिशें कीं, जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । सरकार ने इन सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । एक जांच न्यायालय द्वारा, जिस में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति ऐन० चन्द्रशेखरन हैं, औपचारिक जांच किये जाने का आदेश दे दिया गया है और इस की जांच की जा रही है ।

विवरण

१९ फरवरी, १९५२ को नागपुर हवाई अड्डे पर डैकन एयरवेज़ के डकोटा वायुयान वी० टी० ए० एक्स० ई० की हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समिति की सिपारिशें ।

(१) वायु समवाय के वायुयान संचालन सम्बन्धी अनुदेशों में निर्धारित संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन तथा परीक्षण किया जाना चाहिये तथा वायुयान चालकों के उड़ान सम्बन्धी अभ्यास का अधिक प्रभावपूर्वक ढंग से अधीक्षण किया जाना चाहिये ;

(२) रात्रि हवाई डाक सेवा के संचालन के निमित्त वायुयान चालक आदि के चुनने में इस बात का सुनिश्चयन किया जाना चाहिये कि न केवल प्रमुखचालक (कैप्टिन) ही अपितु सह-चालक (को-पायलेट) भी अत्यधिक योग्यता रखते हों तथा वायु यातायात उड़ान में दीर्घ एवं परिपक्क अनुभव रखते हों;

(३) वायुयान चालक आदि की, थकान के प्रश्न पर विशेषकर रात्रि सेवाओं में, उड़ानसम्बन्धी व्याधियों के विशेषज्ञों के परामर्श से विचार किया जाय;

(४) सामान्य रूप से, रात्रि में विमान अवतरण के समय, हवाई अड्डे का पूर्ण अथवा आंशिक चक्कर लगाने की आवश्यकता को हटाया न जाये;

(५) नागपुर में, तीव्र उग्रता वाले धावन मार्ग तथा आगम आलोकों का शीघ्र प्रबन्ध करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाय,

जिस के सम्बन्ध में समिति को पता लगा है कि असैनिक नभश्चरण विभाग ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है ।

खंडवा-हैदराबाद रेलवे लाइन

***५९. डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या रेल मंत्री खंडवा को अकोला हो कर हैदराबाद सीमा को मिलाने वाली योजना की स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे :

(ख) क्या इस परियोजना पर शीघ्र ही विचार किये जाने की कोई सम्भावन है ?

(ग) क्या इस परियोजना के लिये सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में कुछ धन की व्यवस्था करने का विचार किया जाता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) खंडवा तथा हिंगोली के बीच एक छोटी लाइन बनाने सम्बन्धी परियोजना की विगत काल में कई अवसरों पर जांच की गई थी, किन्तु अब पश्चिमी रेलवे (वेस्टर्न रेलवे) द्वारा रेल मंत्रालय को नवीनतम सूचना दिये जाने के उद्देश्य से उस पूरी योजना का पुनःपरिमापन किया जा रहा है ।

(ख) जब नवीनतम परिमाप सम्बन्धी सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध हो जायगे, तो परियोजना पर शीघ्र विचार करने के हेतु उसे केन्द्रीय यातायात पर्षद् को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

अमरावती में रेलवे स्टेशन

***५२. डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या रेल मंत्री केन्द्रीय प्रदेश में अमरावती में नया रेलवे स्टेशन बनाने के लिये दिये गये धन की रकम को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सरकार ने स्टेशन के स्थान को वर्तमान स्थान से किसी ऐसे स्थान पर, जो कि अधिक उपयुक्त हो, बदलने की सम्भावना पर विचार किया है ?

(ग) नये स्टेशन के कब तक बन जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अमरावती में पूर्ण रूप से एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का इस समय विचार नहीं है ; किन्तु इस स्टेशन पर यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में बहुत से कार्यों के लिये नवम्बर, १९५१ में लग भग २ लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अतिरिक्त सुविधाओं सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया गया है और आशा की जाती है कि यह मई १९५३ के लग भग समाप्त हो जायेगा ।

बंजर भूमि

***५३. श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ में कुल कितनी बंजर भूमि का उद्धार किया गया;

(ख) सन् १९५२-५३ में उद्धार की जाने वाली इस प्रकार की भूमि के आंकड़े क्या हैं;

(ग) बंजर भूमि के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ८,५२,६७४ एकड़ कृषि योग्य बंजर तथा बेकार भूमि ।

(ख) जी० एम० एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ३,४३,३०० एकड़ भूमि। इस में वह भूमि सम्मिलित नहीं है जिस का कि सरकारी सहायता के बिना ग़ैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा उद्धार किया जायगा ।

(ग) केन्द्रीय सरकार अपनी राज्य ट्रैक्टर यूनिटों के रूप में ट्रैक्टर और उपकरण खरीदने के लिये अथवा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों को खरीदने के लिये कृषकों को ऋण देने के हेतु, राज्य सरकारों को ऋण देती है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन भी कुछ शुल्क ले कर कांस अथवा जंगल की भूमि का उद्धार कार्य करता है । यह शुल्क न लाभ न हानि के आधार पर लिया जाता है। फिर राज्य सरकारें उन राजकीय ट्रैक्टरों को 'न लाभ न हानि' के आधार पर अथवा सरकारी दरों पर किराये पर देती हैं।

बम्बई आदि में खाद्यान्नों के दामों में हुई वृद्धि

***५४. श्रीमती जयश्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई, पूना तथा अहमदाबाद में अप्रैल, १९५२ के आरम्भ से ही राशन वाले खाद्यान्नों के यथा गेहूं और चावल के दाम बढ़ गये हैं; तथा

(ख) इन राशन वाले खाद्यान्नों के दामों को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, विदेशी गेहूं, बाजरा तथा देसी चावलों के दाम बढ़ गये हैं ।

(ख) सरकार ऊंचे दामों की समस्या के विषय में बहुत सचेत है और यह प्रश्न सरकार के निरन्तर विचाराधीन है ।

गोरखपुर में रेल कर्मचारियों की मृत्यु

***५६. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) २५ अप्रैल, १९५२ को, गोरखपुर में जिन व्यक्तियों के कारण जिन दो रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई अथवा जिन्होंने अन्य बीस रेल कर्मचारियों को घायल किया उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; तथा

(ख) अस्त्रों के प्रयोग किये जाने के परिणाम स्वरूप जिन व्यक्तियों को चोटें आईं हैं उन को क्या क्षतिपूर्ति दी जायेंगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) . (क) तथा (ख) . जिन खेदजनक दुर्घटनाओं का निर्देश किया गया है वह राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने में अपने कर्त्तव्य पालन के सिलसिले में, की गई कार्यवाही के कारण हुई थी । अतः प्राथमिक रूप से इन प्रश्नों का सम्बन्ध राज्य सरकार से है । संयोगवश, दो मृत व्यक्तियों में से एक रेलवे कर्मचारी नहीं था और जिन व्यक्तियों के चोटें आई हैं उन की संख्या पन्द्रह है ।

झांसी रेलवे स्टेशन के लिये शेड्स

***५७. श्री धुलेकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन के पलेटफार्मों पर शेड बनाये जाने की स्वीकृति दी है; तथा

(ख) इन के बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख) . झांसी स्टेशन

के प्लेटफार्म के उन स्थानों पर जहां पर रेलें आ कर ठहरती हैं, शेड बनाने की परियोजना, यात्रियों को दिये जाने वाले अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्यों के साथ सन् १९५३-५४ के कार्यक्रम में रखी गई है और इसलिये इस में विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पूर्वी ज़ोन (कार्यालय)

***५८. श्री यू० सी० पटनायक** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रमशः पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बिहार, राज्यों में से हो कर जाने वाली पूर्वी रेलवे के रेल मार्ग की लम्बाई कुल कितने मील है ?

(ख) इस पूर्वी ज़ोन का मुख्य कार्यालय कहां बनाया जायगा और इन पांच राज्यों में से प्रत्येक में डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मंडलीय अधीक्षक) के कार्यालय कहां बनाये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) विभिन्न राज्यों में से हो कर जाने वाली पूर्वी रेलवे के मार्ग की मीलों में लम्बाई इस प्रकार है :

(१) पश्चिमी बंगाल, १२७५ मील ।

(२) उड़ीसा, ८३७ मील ।

(३) मद्रास, २५१ मील ।

(४) मध्य प्रदेश, १२३८ मील ।

(५) बिहार, १८२४ मील ।

(ख) मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है। डिवीज़नो (रेलभागों) तथा प्रदेशों के प्रधान कार्यालय इन स्थानों पर हैं :

डिवीजनों के प्रधान कार्यालय राज्य

स्यालदाह, हावड़ा, आसनसोल	पश्चिमी बंगल
दीनापुर, धनबाद	बिहार

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय

बिलासपुर	मध्य प्रदेश

रेलवे वर्कशाप

***५९. श्री यु० सी० पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजनों तथा डब्बों के बनाने के लिये संघ सरकार द्वारा कौन कौन से वर्कशाप चलाये जा रहे हैं ?

(ख) इस प्रकार के वर्कशापों में कौन से वर्कशाप जो अब विभिन्न ज़ोनों में हैं पहले विभिन्न रेल प्रशासनों द्वारा चलाय जाते थे ?

(ग) प्रविधिविज्ञों के प्रशिक्षण के लिये इन वर्कशापों में किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख) . एक विवरण जिस में यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ग) (१) शिक्षार्थी यांत्रिकों तथा शिल्प यांत्रिकों के रूप में भर्ती किये गये शिशिक्षुओं को इन वर्कशापों में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ मामलों में, टैक्निकल (प्रविधिक) स्कूलों के विद्यार्थियों को इन वर्कशापों में क्रियात्मक प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रबन्ध है।

(२) उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने इंजीनियरिंग के स्नातकों तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं के डिप्लोमा (मानपत्र) प्राप्त व्यक्तियों को एक वर्ष

की अवधि तक क्रियात्मक प्रशिक्षण देना स्वीकार किया है ।

तम्बाकू

*६०. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में तम्बाकू की पैदावार म उन्नति हो रही है या अवनति;

(ख) तम्बाकू पर कर की दर क्या है; तथा

(ग) इस कर को वसूल करने का ढंग क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) देश के विभाजन के ठीक पूर्व के वर्षों में तम्बाकू की पैदावार की प्रवृत्ति सामान्य रूप से कमी की ओर थी। विभाजन उपरान्त अवधि में तम्बाकू की पैदावार में वृद्धि हुई है, केवल सन् १९५०-५१ को छोड़ कर जबकि प्रतिकूल दशाओं के कारण तम्बाकू पैदा करने की एकड़ भूमि तथा इस के उत्पादन में कमी हुई है ।

(ख) तम्बाकू की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अनुसूची की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ग) उत्पादक शोधक स्वयं ही शुल्क दे सकता है, अथवा बिना शुल्क दिये ही वह अपने उत्पादन को थोक व्यापारी को बेच सकता है । बाद के मामले में थोक व्यापारी उस माल को रक्षित कोष्ठागारों (बोडेंड वेयर हाउस) में रख देता है और वह माल उसी रक्षित कोष्ठागार में अथवा अन्य किसी कोष्ठागार में इतने काल के लिये, जिस की अवधि चार वर्ष से अधिक न हो, रखा जा सकता है और शुल्क उस समय दिया जाता है जब माल उपभोग के लिये कोष्ठागार स बाहर निकाला जाता है ।

कृषि अनुसन्धान विद्यालय

*६१. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ से १९५२ तक कृषि अनुसन्धान विद्यालयों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं ?

(ख) उन में से कितने सरकारी कृषि कार्य संस्थाओं में सेवायुक्त कर लिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसन्धान विद्यालय का निर्देश कर रहे हैं । इस विद्यालय में सन् १९४९ से १९५१ तक १२९ व्यक्तियों ने अपना स्नातकोत्तर प्रशिक्षण समाप्त किया । सितम्बर १९५२ तक और ६२ व्यक्ति अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लेंगे ।

(ख) जितनी सूचना प्राप्त है उस के अनुसार १०६ व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं (केन्द्रीय तथा राज्यों की) में सेवायुक्त किया गया है ।

राज्यों को खाद्यान्नों का नियतन

७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में (प्रति राज्यवार तथा प्रति वर्षवार) भारत के विभिन्न कमी वाले राज्यों को आन्तरिक समाहार से तथा आयात से पृथक पृथक रूप से खाद्यान्नों का कितना नियतन किया गया है; तथा

(ख) प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों के अभ्यंश का (१) जन साधारण को; तथा (२) उद्योगपतियों को कितना नियतन किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मूल योजना के अनुसार खाद्यान्नों का नियतन पत्री वर्ष के आधार पर किया जाता है। एक विवरण, जिस में सन् १९४९ से १९५१ तक के वास्तविक नियतन तथा सन् १९५२ के लिये निर्धारित अभ्यंश दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ख) खाद्यान्न का अभ्यंश राज्यों को इकट्ठा ही दे दिया जाता है और वह इसे तथा स्थानीय क्षेत्रों से समाहारित अनाज को जन साधारण तथा उद्योगों में लगी हुई जनता दोनों की ही आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में लाते हैं।

बिना टिकिट यात्रा करना

८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५२ में केन्द्रीय, दक्षिणी तथा पश्चिमी रेलों में बिना टिकट यात्रा करने के कारण कुल कितने यात्री पकड़े गये तथा कितना किराया वसूल किया गया, तथा

(ख) उसी अवधि में उन बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से रेल प्रशासन ने अधिक किराये तथा जुर्माने के रूप में कुल कितना धन प्राप्त किया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख). जनवरी १९५२ में केन्द्रीय, दक्षिणी तथा पश्चिमी रेलों में बिना उचित आज्ञापत्र (पास) अथवा बिना टिकट यात्रा करने के कारण पकड़े गये यात्रियों की कुल संख्या तथा उन से किराये तथा जुर्माने के रूप में वसूल किया गया कुल धन, नीचे दिये जाते हैं :

रेलवे	बिना उचित आज्ञापत्र अथवा बिना टिकिट यात्रा करने के कारण पकड़े गये यात्रियों की संख्या	किराये तथा जुर्माने के रूप में वसूल किया गया धन
		रुपये
केन्द्रीय	७२,७२२	१,७२,८९३
दक्षिणी	१,२६,६५१	२,४२,३२८
पश्चिमी	९१,५७८	२,१२,७९०

तार (शिकायतें)

९. **श्री एस० एन० दास** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में बिहार सर्किल में साधारण (ऑर्डिनरी) तथा शीघ्रगामी (एक्सप्रेस) दोनों प्रकार के तारों के देरी से दिये जाने के सम्बन्ध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने मामलों में जांच की गई थी;

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिन में डाक विभाग के कर्मचारी दोषी पाये गये और उन्हें दण्ड दिया गया; तथा

(घ) उन मामलों की संख्या कितनी है जिन में कोई जांच नहीं की गई ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पशुधन

१०. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५२ तक देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक नस्ल के पशुओं की कुल संख्या कितनी थी ?

(ख) प्रत्येक नस्ल का जन्म अनुपात तथा मृत्यु अनुपात कितना है ?

(ग) कितनों की स्वाभाविक मृत्यु होती है ?

(घ) प्रति पशु कितना चारा मिलता है ?

(ङ) गत दो वर्षों में कितने क्षेत्र में चारे की खेती की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) गत पंचवार्षिक पशुगणना मई १९५१ तथा उस के बाद के महीनों में हुई थी। एक विवरण, जिस में प्राप्त सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) प्राप्त नहीं है ।

(ग) ज्ञात नहीं है ।

(घ) यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। यह अनुमान लगाया गया है कि भूसा, चारा तथा घास को, समेत चारे की औसत मात्रा प्रति दिन १० पौंड प्रति पशु है।

(ङ) लगभग एक करोड़ एकड़ ।

डाक तथा तार विभाग (ब्याज और लाभ)

११. सरदार हुकम सिंह : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे सन् १९५१-५२ में सामान्य राजस्व पर दी जाने वाली पूंजी पर डाक तथा तार विभाग द्वारा कोई ब्याज दिया गया था, और यदि दिया गया था तो कितना धन दिया गया था ?

(ख) उस वर्ष पुनः नवीकरण रक्षित निधि में कितना धन विनियोजित किया गया था ?

(ग) सन् १९५१-५२ में डाक तथा तार विभाग को यदि कोई लाभ हुआ था तो कितना हुआ था ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। सन् १९५१-५२ के सामान्य राजस्व में दी जाने वाली पूंजी पर ब्याज के पुनरीक्षित आंकड़े संचित अतिरेक पर छूट देने के बाद १.३१ लाख रुपये है। चूंकि लेखा अभी बन्द नहीं किया गया है अतः सन् १९५१-५२ के वास्तविक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ७५ लाख रुपये ?

(ग) १९५१-५२ के लाभ के पुनरीक्षित आंकड़े ३.८७ लाख रुपये हैं। वर्ष का लेखा अभी अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया है किन्तु पुनरीक्षित आंकड़ों के धन को पूरा पूरा होने की आशा है।

अमरावती–नरखेड़ रेलवे लाइन

१२. डा० पी० एस० देशमुख : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नागपुर दिल्ली मार्ग पर अमरावती को नरखेड़े से रेलवे लाइन द्वारा मिलाने वाली योजना किस स्थिति पर है ?

(ख) क्या इस विषय पर शीघ्र ही विचार किय जाने की कोई संभावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) परियोजना का यातायात परिमापन कार्य पूरा हो चुका है; इंजीनियरिंग परिमापन भी आंशिक रूप में किया जा चुका था और आगे होने वाला कार्य इसलिये

बन्द कर दिया गया था क्योंकि यह लाइन उन परियोजनाओं की सूची में नहीं है जिन्हें अब तक केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने स्वीकार कर लिया है। प्राप्त हुई प्रारम्भिक रिपोर्टों से यह पता लगा कि यह परियोजना लाभकारी नहीं होगी। केन्द्रीय यातायात पर्षद् मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाओं के साथ इस परियोजना पर यथा समय विचार करेगा।

(ख) इस परियोजना पर उस समय तक विचार किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है जब तक कि केन्द्रीय यातयात पर्षद् द्वारा पहले ही स्वीकृत अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यान्वित न कर लिया जाय।

(ग) जी नहीं।

Tuesday 20, may, 1952

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—१४]

(मूल्य ९ आने)

312 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन वा, ज़िला इटावा (पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ ज़िला आगरा (पश्चिम)

अचिंत राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलबा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (ज़िला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ़्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैजाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवअंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोध्र, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, क़ादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेंल (पैरियाकुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुबल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संवाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधो पुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुगैंर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर —क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व – रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा —रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

दशमुख, श्री चिंतामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदाबाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

प जारी

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)

प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)

बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)

बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)

बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)

बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)

बुवराधसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

बह्यो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)

भवनजी ए० खोमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थवत माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ—जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्ण-राव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गीहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म—जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मैनन, श्री के० ए० दामोद (कोज़िकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कीटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजोत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रधवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बस्ती रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र—जारी

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बरनी-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)-

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चित व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैंकटारमन, श्री आर० (तजोर)

वैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरट-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (मंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गीज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुवेद, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रताप (मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग़ पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स–जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया–पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ़्फ़रनगर उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रहमण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाधन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यु

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २० मई, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

बीकानेर के पास हुई रेल दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना श्री सुब्रह्मण्यम्, श्री विट्ठल राव और एम० एल० द्विवेदी से मिली है। तीनों बीकानेर के पास हुई रेल दुर्घटना के विषय में है, जो मैं समझता हूं कि १८ तारीख की रात के ग्यारह बजे हुई थी और जिस में ४५ यात्री मर गये थे और ६१ घायल हुए थे। हमें इस का बड़ा दुख है और मृत व्यक्तियों के परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। किन्तु इस समय प्रश्न यह है कि क्या ऐसा विषय स्थगन प्रस्ताव के रूप में आ सकता है।

सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कैसी भी दुर्घटना हो, यह हो ही गई है और मैं इस पर चर्चा करने की कोई

आवश्यकता नहीं समझता। बात अब हो नहीं रही है जो इस पर चर्चा की जाय।

दूसरी कठिनाई यह है कि जब तक तथ्य प्राप्त न हों इस पर चर्चा कैसे हो सकती है। यह दुर्घटना किसी भी कारण से हुई हो, किन्तु हम इस दुर्घटना के २४ घंटे के अन्दर ही किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं? अधिक उत्तम तो यह होता कि माननीय सदस्य इस पर एक अल्प सूचना प्रश्न कर के सरकार से सब बातें जान लेते क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही चर्चा होनी है। हम सब इन तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। इन प्रस्ताओं पर मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। इसका अर्थ यह नहीं है इस दुर्घटना के अभागे पीड़ितों के साथ मेरी सहानुभूति नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में पहिला काम यह है कि माननीय सदस्य एक प्रश्न प्रस्तुत करें और सरकार से सूचना प्राप्त करें। यद्यपि मैं इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता हूं, तथापि मैं चाहता हूं कि जो बातें माननीय रेल मंत्री बता सकें इस समय बता दें। यह अच्छा होगा यदि वह समस्त तथ्यों को बता दें जिस से कि सदन को कुछ मालूम हो जाय कि वास्तव में क्या हुआ है। क्या वह वक्तव्य देंगे?

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, इस समय केवल यही किया जा सकता है कि हमें जो बातें मालूम हों उन्हें बता दें। जांच के पूर्व इस पर चर्चा नहीं हो सकती। एक घंटे पूर्व

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तक जो सूचना प्राप्त हुई है वह मैं बता सकता हूं। १८ मई १९५२ की रात को ११ बजे उत्तरी रेलवे के बीकानेर तथा पलना स्टेशनों के बीच मेड़ता रोड से बीकानेर आने वाली २४ डाउन तथा बीकानेर से मेड़ता रोड जाने वाली २२१ अप मालगाड़ी में भिड़न्त हो गई। दुर्घटनास्थल बीकानेर से सात मील दूर है। ४५ व्यक्ति मरे : ३५ या ३६ उस स्थल पर शेष अस्पताल ले जाते समय मर गये। हताहतों में मालगाड़ी का फायरमैन भी है। ५० घायल व्यक्ति अस्पताल म हैं।

२४ डाउन के गार्ड द्वारा भेजी गई पहली रिपोर्ट १९ ता० की आधी रात के आधे घंटे बाद प्राप्त हुई। एक रिलीफ ट्रेन, जिस में बीकानेर अस्पताल के दो बड़े डाक्टर पूरा चिकित्सा सम्बन्धी सामान, पीने का पानी, प्रकाश के लिए जनरेटिंग सेट तथा बीमारों के लिए खाली डिब्बे थे, बीकानेर से २ बजे चली और घटनास्थल पर करीब २-३० बजे पहुंची। इस रिलीफ ट्रेन में बीकानेर डिवीज़न के कुछ रेलवे अधिकारी तथा कुछ सिविल तथा पुलिस अधिकारी थे। रिलीफ़ ट्रेन के आने के पूर्व अन्य यात्रियों की सहायता से कुछ घायल व्यक्तियों को वहां से हटा लिया गया था और शेष को, अन्य विशेष कर्मचारियों ने रिलीफ़ ट्रेन की बिजली के प्रकाश की सहायता से हटाया। उसी समय सब घायलों को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता दी गई।

बीकानेर अस्पताल में पहुंचाये गये सब घायलों को १९ तारीख के दोपहर तक बाहरी रक्त दिया गया और उन की चोटों पर प्लास्टर बांध दिये गये तथा पूरी चिकित्सकीय सहायता दी गई। १९ के दोपहर तक इलाज़ के बाद पन्द्रह व्यक्तियों को वहां से मुक्त कर दिया गया तथा ५२ व्यक्ति अस्पताल में ही रहे। अब वहां ५० हैं। सवारी गाड़ी के इंजन के बाद के तीन सवारी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गये थे तथा चौथा, जो कि प्रथम, द्वितीय, ड्योड़ा तथा तृतीय श्रेणी का पूरा एक डिब्बा था, चढ़े हुए डिब्बों पर चढ़ कर एक ओर गिर गया था। दोनों इंजन बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गये थे। रेल पथ को बहुत कम नुकसान हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि यह गलत लाइन क्लीयर दिये जाने से हुआ था। वहां कागज़ी लाइन क्लीयर टिकिट प्रणाली है।

रेलवे के सरकारी इंस्पैक्टर (निरीक्षक) द्वारा बीकानेर में जांच २२ ता० को की जायेगी। दिल्ली से उत्तरी रेलवे के महाप्रबन्धक मुख्य संचालन अधीक्षक (चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीकानेर होकर घटनास्थल के लिए ९-३० वाले वायुयान से चले गये। उन्होंने बीकानेर के अस्पताल में घायलों को भी देखा। टूटे फूटे सामान के कारण लाइन रुक गई। दोनों इंजन इतनी बुरी तरह से जुड गये थे कि उन्हें अलग करना कठिन था। अतः बीकानेर से और वहां को जाने वाली सब रेलगाड़ियों को बन्द कर दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ियों के दोपहर के १२ और १ बजे के बीच अर्थात् अब से १ घंटे के बाद फिर से चलने की आशा है।

इतनी ही सूचना मेरे पास है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य तथा कृषि संघठन को गये भारतीय प्रतिनिधि मंडलों की रिपोर्ट

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : नवम्बर १९५१ में रोम में हुई खाद्य तथा

कृषि संगठन समिति के तेरहवें सत्र तथा नवम्बर-दिसम्बर १९५१ में हुई खाद्य तथा कृषि संगठन के छठे सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों की रिपोर्ट की एक प्रति मैं सदन पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रख दी गई है। देखिये संख्या ४/एल ३ (८४)]

कलकत्ता पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : कलकत्ता पत्तन अधिनियम, १८९० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अनुसार इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति मैं सदन पटल पर रखता हूं।

(१) यातायात मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ९-पी०आई० (१)/५२, दिनांक ६ मार्च, १९५२; तथा

(२) एक विवरण, जिस में कलकत्ता पत्तन आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिया हुआ है। [पुस्तकालय में रख दी गई है। देखिये संख्या पी०-१०। ५२]

विस्थापित व्यक्तियों (दावे) संशोधन विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों (दावे) अधिनियम १९५० में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री ए० पी० जैन : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ रक्षित वायुसेना तथा सहायक वायुसेना और इन से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था तथा विनियमन करने की प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री गोपालस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के पढ़ने में समय लगेगा। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं अतः यदि वह संक्षेप में बोलें तो अधिक अच्छा होगा। मैं ने १५

[अध्यक्ष महोदय]

मिनिट का समय निश्चित किया था, किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि १५ मिनिट से कम समय न लगे। अच्छा हो यदि सदस्य १० मिनिट ही लें। मुझ से यह प्रार्थना की गई है कि १०-४५ म० पू० से ५ म० प० तक बैठक रखने की अपेक्षा सदन की केवल एक ही बैठक ८-१५ म० पू० से १-० म० प० तक हो। यह सदस्यों के लिये सुविधा-जनक है। यह परिवर्त्तन परसों से कार्यान्वित होगा। कल इस वाद विवाद के समाप्त होने पर परसों से परिवर्त्तित समयों पर बैठक होगी। यदि सदन इसे बदलना न चाहे तो प्रश्न काल जारी रहेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या संसद् सचिवालय सम्बन्धित पत्रादि को दोपहर को दे देगा जिस से कि हमें प्रातः उन को पढ़ने का समय मिल जाय ?

अध्यक्ष महोदय : हमने सदन के कार्य तथा सचिवालय के कार्य भार के अनुसार प्रबन्ध किया है। कल की संसदीय विज्ञप्ति का विवरण सायं या रात्रि तक हो जायेगा।

१२ मध्यान्ह

एक माननीय सदस्य : मेरा सुझाव है कि प्रातःकाल की बैठक की अपेक्षा दोपहर की बैठक रखना अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता क्योंकि हमारी शक्ति सीमित हैं।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व): इस सदन की नई रचना हुई है। मुझे इस तथा इस से पहले के सदन की तुलना नहीं करनी है किन्तु मेरा कहना यह है क्योंकि यह सदन प्रत्यक्ष जन मत द्वारा चुना गया है अतः यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधि है। कांग्रेस दल की यह इच्छा थी तथा उस का यह निर्णय था कि देश में वयस्क मताधिकार हो विरोधी दल कांग्रेस दल की अन्य बातों को न मानता हो किन्तु व्यस्क मताधिकार कांग्रेस दल के ही कारण प्राप्त हुआ है और इसी कारण वह इस सदन में आ सके हैं। विरोधी दल बहुत सी शिकायतें करता रहा है। मैं चाहता हूं कि विरोधी दल इस बात का अनुभव करे कि कांग्रेस ने देश को न केवल स्वतंत्रता दिलाई है, और न केवल प्रजातंत्रात्मक संविधान दिया है, अपितु विरोधी दल के कार्यों के होते हुए भी शान्ति तथा व्यवस्था को बनाये रखा है और ऐसे कई अच्छे कार्य किये हैं जिन के लिये जनता को उसका कृतज्ञ होना चाहिये। देश तथा कांग्रेस को एक उत्तम नेता प्राप्त है जिन में अनेक गुण हैं और जो समस्या के दूसरे पहलू पर भी विचार कर सकते हैं। वह अपनी त्रुटियों को भी स्वीकार करते हैं ऐसे नेता के होते हुए विरोधी दल के रचनात्मक सुझावों पर विचार किया जायगा। मेरा कहना है कि निर्वाचन में विरोधी दल को अपने पुराने कार्य नहीं करने चाहिये। उन्हें संसदीय विरोधी दल के समान इस उत्तरदायी सरकार को सुझाव देने चाहिये। इस दल से पूर्व हम स्वयं विरोधी दल के समान आलोचना करते थे। अब बहुत से नवयुवक आगये हैं अतः अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। उन का कैसा भी वर्ण हो और उन में स्त्रियों का भी काफी आधिक्य न हो, किन्तु वह सरकार का विरोध करने के हेतु ही आये हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने दक्षिण निवासियों के वर्ण के विषय में आक्षेप किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों में परिहास की भी रुचि

होना चाहिये। किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिये।

एक माननीय सदस्य: किसी माननीय सदस्य को नये आये हुए सदस्यों को संसदीय प्रथा तथा प्रक्रिया के विषय में कुछ सीख नहीं देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यदि नये सदस्य एक सत्र तक न बोलें तो वह बहुत सीख जायेंगे। औचित्य प्रश्न आदि पूछे जाने के कारण अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यहां दोष देने नहीं आये हैं अपितु गम्भीर वाद विवाद के लिये ही यहां हैं। हमारा आपस में मतभेद हो सकता है किन्तु हमें दुरा नहीं मानना चाहिये। नये सदस्यों को व्यग्र नहीं होना चाहिये। संसदीय वाद विवाद का तत्व यही है कि सद्भावना-पूर्ण वातावरण हो और अच्छे परिहास अच्छे लगाते हैं। निम्न कोटि के भाषणों से यह वातावरण नहीं रहता है। मैं यह भी कहूंगा कि सदस्यों के स्वभाव तथा की गई आपत्तियों को देखते हुए सदस्यों को संयम से काम लेना चाहिये और जो परिहास नहीं पसन्द करते उन से परिहास न किया जाये। सदस्यों को शान्त रहना चाहिये और बाधा भी नहीं डालनी चाहिये किन्तु सदस्य ऐसा करते हैं माननीय सदस्यों को शान्ति पूर्वक सुनना चाहिये और सदा ही अन्तर्बाधा नहीं डालनी चाहिये। उन्होंने कल तीन बार अन्तर्बाधा की और अब भी कर रहे हैं। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न भारत की संसद् की कार्यवाही में यह कार्य उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य संयम से काम लेंगे तथा अपने दल का अच्छा उदाहरण रखेंगे। यदि कोई सदस्य अशिष्ट बात कहें तो मेरा ध्यान उसकी ओर विलायाजा सकता है। मैं इसके लिये सचेत हूं और स्वयं भी ऐसी बातों की अनुमति नहीं देता हूं। किन्तु कार्य वाही में वाधा नहीं डालनी चाहिय।

डा० पी० एस० देशमुख: इस परिवर्तित स्थिति में मैं विरोधी दल को कांग्रेस दल तथा भारत सरकार की अच्छी बातें बताऊंगा। मैं समझता हूं कि वर्तमान भारत सरकार पूर्व सरकार से भिन्न है यद्यपि इसमें कई पुराने मित्र हैं। यह इस कारण नई है कि वह सब यह समझते हैं कि अब आत्मतुष्टि तथा परीक्षण के लिये स्थान नहीं है। वर्तमान भारत सरकार पूर्ण शक्ति से काम कर सकती है। सारे संसार को यह विदित हो गया है कि भारतीय जनता चाहे अशिक्षित हो किन्तु वह नादान नहीं है। भारतीय जनता अपना कर्तव्य जानती है। मैं यह चेतावनी देने के लिए ही कह रहा हूं और इस ओर हमारे नेताओं ने भी हमारा ध्यान दिलाया है। विरोधी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों ने भारत सरकार की जो आलोचना की है उसे मैं संक्षेप में कहूंगा। यह कहना गलत है कि हम भारत के कई भागों में फैले हुए दुर्भिक्ष तथा अभाव की स्थिति को नहीं मानते हैं। मैं श्री गोपालन तथा अन्य विरोधी दल के सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि हम इस स्थिति का मुकाबला करना तथा जनता के कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। ऐसी कठिनाइयों का भारत सरकार पहिली बार ही सामना नहीं कर रही है।

[**श्री एम० ए० अय्यंगार** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

गत वर्ष हमें ऐसी स्थिति का न केवल बिहार में अपितु भारत के अन्य भागों में भी सामना करना पड़ा था। भारत सरकार इस कठिन परीक्षा में उतनी ही सफल रही जितनी सम्भवतः

(डा० पी० एस० देशमुख)

कोई और सरकार रहती। यह खेद का विषय है कि विरोधी दल के अधिकांश सदस्य अभाव वाले क्षेत्रों के निवासी है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने रायलासीमा में जो किया या इस समय कर कर रही है यदि वह यह न करती तो वहां यह स्थिति न होती। और यदि अन्य स्थानों में अभाव की स्थिति पैदा होगी तो सरकार शीघ्र ही वहां की स्थिति सुधारने की ओर अपना ध्यान देगी।

आजकल सभी धन चाहते है। अतः आर्थिक सहायता बन्द किये जाने के विरुद्ध पुकार करना स्वाभाविक है। हो सकता है कि यह कार्य ग़लत समय पर किया गया हो, किन्तु सदस्यों ने जो कहा है यदि उसे मान लिया जाय तथा यदि मैं भी ऐसा समझूं कि वह केन्द्र की सहायता नहीं चाहते हैं तो भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर सदा के लिये आश्रित नहीं रह सकते। इस प्रश्न पर भली भांति विचार करना चाहिये और यदि इस आर्थिक सहायता के बन्द कर देने के परिणामस्वरूप ही यह कठिनाइयां पैदा हुई हों तो भारत सरकार अपनी नीति बदल देगी।

कुछ सदस्यों ने बड़ी सिंचाई तथा नदी घाटी परियोजनाओं का मज़ाक उड़ाया है। कोई बुद्धिमान् व्यक्ति नदी घाटी परियोजनाओं को बुरा नहीं कहेगा। इन छोटी सिंचाई परियोजनाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिये और सब धन बड़ी परियोजनाओं में ही नहीं लगाया जाना चाहिये। इन की जांच का सुझाव देना और बात है और यह कहना कि नदी घाटी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है दूसरी बात है, श्रीमती कृपलानी को यह शिकायत है कि राष्ट्रपति के भाषण में कोई भी प्रेरणादायक बात नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि सभी प्रस्तुत समस्याओं में हम भारत के संदेश--शान्ति तथा अहिंसा--को याद रखेंगे और राष्ट्र तथा मानवता के हित को सर्वोपरि रख कर सहकारी भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत तथा इन महान् कार्यों में संलग्न स्वतंत्र व्यक्तियों की एकता बनाये रखनी है। यदि ऐसे शब्द भी प्रभावोत्पादक नहीं हैं तो राष्ट्रपति के भाषण में कोई त्रुटी नहीं है, त्रुटी कहीं और है।

सरकार की विदेश नीति की आलोचना की गई है। मेरे माननीय मित्रों की कौन सी विदेश नीति है? वह तो यह चाहते हैं कि हम साम्यवादी दल में सम्मिलत हो जायें! वह कहते हैं कि सरकार किसी स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं कर रही है किन्तु यदि सरकार अपनी नीति को छोड़ दे, जो कि एक सिद्धान्त पर आधारित है, और साम्यवादी दल में सम्मिलित हो जाये तो इस स्वतंत्रता का क्या होगा? साम्यवादी दल में सम्मिलित होने के बाद भारत सरकार की विदेश नीति के लिये क्या कोई स्वतंत्र दृष्टिकोण होगा? यह भी कहा गया है कि भारत सरकार में बहुत सी धांधली हो रही हैं। मैं समझता हूं कि बात ऐसी नहीं हैं क्योंकि मंत्रीगण और कांग्रेस दल इनके विरुद्ध हैं और इन्हें खोज निकाला है। यदि हम समझते हैं कि इनको प्रकट न करने से राष्ट्र को लाभ होगा तो इन को छुपाना सरल था। विरोधी दल भारत सरकार को धन्यवाद देने के स्थान पर निराधार आरोप लगा रहा है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत उपबन्धित अनुन्नत जातियों के आयोग को

शीघ्र ही नियुक्त करना चाहिये। इस आयोग की शीघ्र नियुक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार कुटीर धन्धों में बनी वस्तुओं को सहायता और बढ़ावा दे ताकि सरकार कुछ वर्षों में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं यहीं से खरीद सके। सूत मिलों से ही आये, चाहे वह सूत अच्छा न हो किन्तु भारत के जुलाहों को भी सरकार को कपड़ा प्रदाय करने का मौका मिलना चाहिये। बहुत से धंधे बढ़ावा दिये जाने पर सरकारी ज़रूरत की चीज़ें बना सकते हैं। भारत के जुलाहों को सरकार की नीति के कारण बहुत हानि हुई है अतः नये मंत्री को उन के कष्ट निवारण के उपाय करने चाहियें।

अब मैं अपने प्रान्त के रुई उगाने वालों की दुःखद स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। सरकार ने उनसे अधिक रुई पैदा करने को कहा और इस वर्ष उन्होंने पूरे देश की एक तिहाई रुई पैदा की। किन्तु थोड़े समय में ही उस का दाम आधे से भी कम कर दिया गया। यदि संसद् सदस्यों के ४० रुपये दैनिक भत्ते के स्थान पर १५ रुपये कर दिये जाते तो उनकी आर्थिक स्थिति का आप अनुमान कर सकते हैं। हमारी आर्थिक कठिनाई बढ़ जायेगी। यही बरार के रुई पैदा करनेवालों की दशा है। यह बिना सोची समझी नीति के कारण ही हुआ है। सरकार को रुई तथा रुई के माल पर नियंत्रण हटा देना चाहिये। यदि विरोधी दल यह देखे कि देश की उत्पादन क्षमता किस प्रकार बढ़े तो उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस दल तथा कांग्रेस सरकार असफल नहीं हुई है। अन्त में मैं धन्यवाद प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret to note in the Address absence of any reference to the problems of educational reform particularly in the sphere of university and professional education."

["किन्तु यह देख कर खेद होता है कि अभी भाषण में शिक्षा सम्बन्धी सुधार विशेषकर विश्वविद्यालय तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का कोई निर्देश नहीं है"]

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वही बातें होती हैं जिनका सरकार आगामी वर्ष में अनुसरण करती है। किन्तु राष्ट्रपति के भाषण में शिक्षा सम्बन्धी सुधार का कोई उल्लेख नहीं है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल पन्द्रह प्रति शत व्यक्ति शिक्षित हैं। जिस देश के ९० प्रति शत मतदाता अशिक्षित हों वहां प्रजातंत्र कैसे चल सकता है ? इंग्लैंड में प्रजातंत्र की स्थापना के समय जान स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि सर्व शिक्षा के बिना सर्व जन-मताधिकार देश के लिए हानिकारक होगा। यह बात संसार के कई भागों में सिद्ध हो चुकी है। अमेरिका में प्रजातन्त्र के प्रारम्भिक दिनों में टैमनी-हाल दल का राज्य था क्योंकि मतदाता यह नहीं जानते थे कि मत किसे दिया जाय। मैं समझता हूं गत निर्वाचनों में यहां भी वही हुआ था। मत उम्मीदवार की योग्यता को नहीं अपितु पवित्र बैल को दिये गये थे।

शिक्षा तथा अशिक्षा की समस्याओं पर कई विभिन्न समितियों ने तथा राष्ट्रीय योजना समिति ने १९३९ में विचार किया था। स्वतंत्रता के बाद अशिक्षा के प्रश्न पर विचार तथा कार्यवाही करने के निमित्त

[श्री मेघनाद साहा]

शिक्षा मंत्रालय ने कई समितियां नियुक्त की। मैं खेर समिति का निर्देश करता हूं। शिक्षा मंत्रालय ने श्री खेर से देश में अशिक्षा के प्रश्न के विषय में नियुक्त समिति का सभापतित्व करने के लिये कहा। उन्होंने जिन उपयुक्त उपायों का सुझाव दिया उन में से एक यह था कि राज्य सरकारें अपने आयव्ययक की आय का २० प्रति शत शिक्षा पर व्यय करें तथा केन्द्रीय सरकार अपने आयव्ययक में से दस प्रति शत व्यय करें। अमरीका में राज्य सरकारें ३० प्रति शत तक तथा न्यूयार्क राज्य ४० प्रति शत शिक्षा पर व्यय करती हैं। श्री खेर ने ही इन सिपारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया था। अन्य राज्यों में शिक्षा पर बहुत कम व्यय किया जाता है। पश्चिमी बंगाल ने सन् १९५० तक दस प्रति शत से कम व्यय किया था।

एक माननीय सदस्य : मैसूर में २५ प्रति शत व्यय किया जाता है।

श्री मेघनाद साहा : मैसूर अपवाद रूप है। मेरे पास तुलना करने के लिये प्रत्येक राज्य के आंकड़े नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत खेर समिति की सिपारिशों को सामान्यतः कार्यान्वित करने के कोई प्रयत्न नहीं किये गये। मुझे आशा थी कि राष्ट्रपति इस विषय पर अपन भाषण में कुछ कहेंगे किन्तु खेद का विषय है कि उन के भाषण में इसका उल्लेख नहीं है।

मुझे उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहना है। उच्च शिक्षा देश में बिछड़ी दशा में है। अपने समय में अंग्रेज़ यहां क्लर्क और असिस्टैंट ही पैदा करना चाहते थे अतः उच्च शिक्षा की भावना ही ग़लत है उच्च प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा का तो और बुरा हाल था। देश में कई इंजीनियरिंग कालेज हैं किन्तु वहां का ध्येय ऐसे इंजीनियर तय्यार करने का था जो केवल मशीनें चलाने के अतिरिक्त कुछ और वास्तविक कार्य न कर सकें। देश के निर्माण के लिये हमें वैज्ञानिकों, टैक्निशियनों, अच्छे इंजीनियरों तथा परिवर्तित समाज के लिये उत्तम क़ानून बनाने वाले योग्य वकीलों की आवश्यकता है।

तीन वर्ष पूर्व सरकार ने विश्वविख्यात दार्शनिक डा० राधा कृष्णन् के सभापतित्व में एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। उस में उन्हें इस देश, इंलैण्ड तथा अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशारदों की सहायता प्राप्त थी। देश के निम्न शिक्षा स्तर को देखकर दुःख हुआ। मैंने तथा मेरे साथियों नें इंगलैंड, अमरिका, अन्य यूरोप के देशों तथा रूस के शिक्षा स्तर की सूचना दी थी। किन्तु हमारे विश्वविद्यालयों का शिक्षास्तर बहुत निम्न था। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा था। उन के पास धन का अभाव था। निर्वाह व्यय चौगुना बढ़ गया है, यंत्रादि का मूल्य पांच छै गुना बढ़ गया है किन्तु विश्वविद्यालयों को दिये जानें वाला अनुदान नहीं बढ़ा है। अध्यापकों को कम वेतन मिलता है विशेषकर नागपुर के एक गैरसरकारी कालेज के अध्यापकों को को एम्प्रैस मिल के अकुशल मज़दूरों से भी कम वेतन मिलता है। अध्यापकगण अच्छी दशा में नहीं हैं। मैं जानता हूं कि कालेज के अध्यापक आजीविका के लिये इधर उधर चीज़े बेचते फिरते हैं।

मेडिकल (चिकित्सा) कालेजों यथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं म प्रायः कोई अनुसन्धान कार्य नहीं होता हं। अध्यापकगण पढ़ान में अपना समय लगा देते हैं

और उपयुक्त वेतन न मिलने के कारण वह अपना समय अनुसन्धान कार्य में नहीं दे सकते । इंजीनियरिंग कालेजों के इंजीनियर योग्य और नई चीज़े बनाने वाले न हो कर केवल यंत्र चालक ही होते हैं। दामोदर घाटी के तथा अन्य नदी घाटी योजनाओं के सिविल इंजीनियरों को छोड़ कर अन्य इतने योग्य नहीं हैं । मशीनरी तथा देश के निर्माण के लिये आवश्यक अन्य चीज़ों के उत्पादन पर कोई अनुसन्धान नहीं होता है।

भारत देश के पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिये विदेशों के विशेषज्ञों को बुलाना है । उन को वेतन भी बहुत देना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि नांगल बांध में काम करने वाले एक विदेशी विशेषज्ञ का वेतन राष्ट्रपति के वेतन से कई गुना है । विश्वविद्यालय आयोग ने इसीलिये यह सिपारिश की थी कि विश्वविद्यालयों को चलाने का उत्तरदायित्व केवल प्रान्तों पर ही न हो । केन्द्रीय सरकार को भी स्नातकोत्तर और व्यावसायिक शिक्षा के लिये आधा उत्तरदायित्व लेना चाहिये । अतः आयोग ने एक ऐसे स्वायन्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिपारिश की थी जिसके पास पांच करोड़ से दस करोड़ तक का आयव्ययक हो और जो विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थाओं को आवश्यकतानुसार धन दे । दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं किन्तु भारत सरकार का विचार विश्वविद्यालय आयोग की सिपारिशों को कार्यान्वित करने का प्रतीत नहीं होता

भारत में शिक्षा गिरी हालत में है। हम मतदाताओं को शिक्षित नहीं कर सकते न देश के लिये उपयुक्त व्यक्ति पैदा कर सकते हैं । इसके लिये धन प्राप्त करना कठिन नहीं है । अन्य विभागों के व्यय बढ़ गये हैं किन्तु केन्द्र का शिक्षा का आयव्ययक कई वर्षों से उतना ही है । हमारा कुल आयव्ययक ३५० करोड़ रुपयों के लगभग है किन्तु शिक्षा पर केवल ३ १/२ करोड़ रुपये (आवर्त्तक) व्यय होते हैं। हमारी शिक्षा की यह दुःखद स्थिति है । सरकार को शिक्षा के लिये और धन देना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

> "but regret that no reference has been made to the State of Jammu and Kashmir and the recent speeches made by Sheikh Abdullah, the Chief Minister of that State, which are likely to embitter the relations between the citizens of India and the people of that State."

> ["किन्तु खेद है कि जम्मू और काश्मीर राज्य तथा उस राज्य के मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला के हाल ही के भाषणों का, जिन के कारण भारत के नागरिकों तथा उस राज्य के निवासियों के सम्बन्ध कटु होने की सम्भावना है, कोई निर्देश नहीं किया गया है"]

कांग्रेसी सदस्यों के भाषण को मैं ने ध्यान से सुना, उन में से कुछ ने विरोधी दल को मित्रतापूर्ण-सलाह दी किन्तु खेद है कि डा० देशमुख ने कुछ भिन्न रूप से

[श्री एन० सी० चटर्जी]

कहा अच्छा होता यदि वह इस भावना से न ही बोलते क्योंकि उन्होंने आवश्यकता से अधिक कहा है और कांग्रेस की कुछ अनुचित स्तुति की है। मैं उन्हें यह बता दूं कि हम यहां कांग्रेस के कारण नहीं आये हैं अपितु कांग्रेस विरोध के होते हुए आये हैं। बिना विरोधी दल के संसद् का कोई महत्व नहीं है और संसद् में विरोधी दल की अनुपस्थिति में प्रजातंत्र तो परिहास मात्र ही है। उन्हें यह भी समझ-लेना चाहिये कि विरोधी दल के बिना लोक सदन की फासिस्ट भावना हो जायेगी। हमें जनता ने यहां भेजा है और हम यह नहीं मानते कि जो दल सरकार को चला रहा है वह जनता के बहुमत का वास्तविक प्रतिनिधि है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमें याद रखना चाहिये कि हम संविधान के प्रति शद्धा और विश्वास की शपथ ले रहे हैं। हमारा संविधान मूल सिद्धान्तों पर आधारित है जैसा कि प्रत्येक प्रजातंत्रात्मक देश में माना जाता है। इस में मूल अधिकारों का एक अध्याय है। वह न्याय और न्यायालयों द्वारा लागू करने के लिये बनाया गया है। जैसा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति ने 'आर्गेनाइज़र' तथा 'क्रास रोड्स' के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि कुछ अवस्थाओं में संविधान ने मूल अधिकारों के निराकरण के विषय में कुछ परिसीमायें लगाई हैं। आज भारत में बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में बन्द किया हुआ है। मूल अधिकारों की दो प्रकार की परिसीमायें हैं, एक सरकार के कार्य पर दूसरी संसद् की विधायिनी शक्ति पर।

यह खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में निवारक निरोध का कोई निर्देश नहीं है। दासत्व काल में भी भारत ने रालेट ऐक्ट का विरोध किया था आज भारत किसी के कानून को सहन नहीं करेगा। मैं अपने मित्रों को यह बता दूं कि मैं विरोध करने के लिये विरोध नहीं करता हूं। भारत के उत्तरदायी नागरिकों के रूप में हमारा कर्तव्य देश की राजनैतिक तानाशाही तथा एकाधिपत्यवाद दोनों से जो हमारे आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण करना चाहते हैं, रक्षा करना है।

मैं सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाऊंगा। पिछले निर्वाचन से हमें मालूम हुआ कि स्वतंत्र तथा मुक्त चुनाव के मार्ग में अनेक कठिनाइयां थीं। मध्य भारत के एक उपनिर्वाचन में कहा जाता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ। उस क्षेत्र के कार्यपालिका तथा पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उस अव्यवस्था को रोक सकने में असमर्थता प्रकट की। राष्ट्रपति के भाषण में इसके लिये विधान बनाये जाने का उल्लेख होना चाहिये था और इसे सब दलों को मिल कर हल करना चाहिये था। राष्ट्रपति के भाषण में शरणार्थियों की समस्या का भी उल्लेख नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह समझती है कि यह समस्या संतोषपूर्वक हल हो गई है। भाषण में लोक सेवाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार का भी उल्लेख नहीं है और न हमें सरकार द्वारा इसे दूर करने की योजनाओं का ही पता लगता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का भी कोई उल्लेख नहीं है। मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे काश्मीर के प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान की परस्पर स्थि पर

प्रभाव पड़े। यह बहुत खेद का विषय है कि काश्मीर के कुछ भाग पर अब भी पाकिस्तान का कब्जा है और राष्ट्र संघ काश्मीर के प्रश्न पर विलम्ब कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों से हमें वाटरलू की लड़ाई के बाद हुआ १९वीं शताब्दी का पवित्र बन्धन (होली अलायेंस) याद आता है और ऐसा लगता है कि बिस्मार्क कैसिलरे तथा डिज़रैली जातिवर्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसने केवल अपना रूप बदल दिया है और सम्भवतः अपना नाम भी। भारत तथा काश्मीर के मध्य हजारों वर्षों से सम्बन्ध मित्रता तथा सद्-भावना रही है। और काश्मीर भारत का सदा से अखण्ड भाग रहा है। उस राज्य की सत्ता भारत के मनुष्यों, धन और सामान पर निर्भर है। भारत और काश्मीर के सुखद सम्बन्ध, पाकिस्तान के क्रूर आक्रमण के विरुद्ध काश्मीर की रक्षा अपने प्राणों की बलि देने वाले सहस्त्रों योद्धाओं के खून से और भी दृढ़ हो गये है।

काश्मीर के मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला के हाल के भाषणों से काश्मीर के शुभचिन्तक, उसके मित्र तथा वहां के शासक बहुत अधिक खिन्न हुए हैं। उनके परम मित्र भारत के प्रधान मंत्री को भी उन के कुछ भाषणों की खुले रूप में आलोचना करनी पड़ी। शेख अब्दुल्ला के भाषणों के कारण गम्भीर समस्यायें पैदा हो गई हैं और यह संसद् उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

मुझे यह कहते हुए खेद है किन्तु मुझे कहना ही पड़ता है कि काश्मीर की अल्प-संख्यक जनता असन्तुष्ट और निराश है। संसद् सदस्य श्री० वी० जी० देशपांडे हाल ही में काश्मीर गये थे और उन का कहना है कि जम्मू में कुछ समय तक आतंक का राज्य था। शेख अब्दुल्ला के विचारों के कारण बहुतों को धक्का लगा है। उन्होंने घोषणा की कि वह काश्मीर में भारत के संविधान को लागू नहीं होने देंगे वह गण-राज्य के अन्दर एक दूसरा गणराज्य चाहते हैं। किस अपराध के कारण जम्मू के नेताओं की आलोचना की जाती है और उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं। वह भारत के पूर्ण नागरिक होना चाहते हैं और भारत के मूल अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। वह उच्चतम न्यायालय भी चाहते हैं वह पूर्ण रूप से भारत के अंग बनाना तथा वहां भारत के संविधान को लागू करवाना चाहते हैं। उन को इस प्रकार बदनाम किया जाता है कि यह नेता भारत के शत्रु और पाकिस्तान के मित्र हैं। द्वेष भावना से यह उन नेताओं के लिये कहा जाता है जो काश्मीर निवासियों के लिये मूल अधिकार की तथा भारतीय संविधान की मांग करते हैं।

भारतीय संविधान में कुछ अनियमिततायें हैं जो हटनी चाहियें। अनुच्छेद १ के अन्तर्गत काश्मीर व जम्मू भारत का भाग है किन्तु संविधान का अनुच्छेद ५ जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, काश्मीर पर लागू नहीं होता है। नागरिकता विषयक अनुच्छेद ५ से अनुच्छेद ११ तक का भाग २, जिसके अन्तर्गत संसद् को विधि द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार है, काश्मीर राज्य पर कतई लागू नहीं होता है। प्रश्न उठ सकता है कि काश्मीर निवासी भारत के नागरिक हैं या नहीं। संसद् में काश्मीर राज्य के प्रतिनिधि इस बात की घोषणा करें कि वह भारत के नागरिक हैं। यदि उपरोक्त अनुच्छेद उन पर लागू नहीं होंगे और यदि यह सदस्य ऐसी घोषणा नहीं करते हैं तो इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिये कि वह लोक सभा के सदस्य किस प्रकार हो सकते हैं। अनुच्छेद ८४ और १०२ में यह दिया है कि भारत

[श्री एन० सी० चटर्जी]

के नागरिक ही संसद् सदस्य हो सकते हैं अन्य नहीं। मैं माननीय राज्य मंत्री से अपील करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करके वह अपनी राय बतायें।

अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार के नाम पर हम मांग करते हैं कि काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस ले लेना चाहिये। काश्मीर का भारत के साथ संविलन को स्वीकार कर लेना चाहिये और इसे जनमत संग्रह के लिये नहीं छोड़ देना चाहिये।

यह भी खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों का कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली समझौते के होते हुए भी पाकिस्तान इसे इस्लामी राज्य बनाना चाहता है। बंगाली भाषा के प्रश्न पर हिन्दुओं को तंग किया जा रहा है। हमारी सरकार ने इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया है। अब वह पारपत्र प्रथा चलाने वाले हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून जानने वाले जानते हैं कि प्रत्येक राज्य अवांछित विदेशियों से बचने के लिये ही इस प्रथा को रखता है। किन्तु पाकिस्तान अपने ही नागरिकों अर्थात् हिन्दुओं से बचने के लिये, जो पश्चिमी बंगाल अथवा भारत के अन्य भाग में हैं, इस प्रथा को चालू कर रहा है। हमें पाकिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल देना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रशेखर (तिरुवल्लूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : यह देख कर सन्तोष होता है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि सरकार हिन्दू कोड बिल पर एक नया विधान प्रस्तुत करना चाहती है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि जिन बातों पर सब सहमत हैं कम से कम वह तो शीघ्र पारित की जायेंगी। हिन्दू कोड बिल सामाजिक सुधार के लिये अत्यावश्यक है और भारत का नारी-समाज इसके लिये भारत सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री के आभारी होगा।

दुर्भिक्ष वाले क्षेत्रों के विषय में यह देख कर संतोष होता है। सरकार सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। रायलासीमा में सेना जनता के कष्टों के निवारणार्थ कुएं खोद रही है और स्थान स्थान पर पानी का प्रबन्ध कर रही है। यह कार्य तामिलनाड के अन्य स्थानों, विशेषकर चिंगलपेट में भी, जहां पानी की कमी है, किया जाना चाहिये। अधिक अन्न उपजाओ जैसी अन्य योजनाओं में भी सेना से कार्य लिया जा सकता है।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

> "but regret that in spite of the urgent and universal demand for local Assemblies to be formed by the members of Electoral Colleges in the remaining Part C States of the first Schedule in Tripura, Manipur and Kutch, the Address does not assure the introduction of a democratic form of Government".

["किन्तु खेद है कि प्रथम अनुसूची के शेष भाग ग में के राज्यों, त्रिपुरा, मनीपुर तथा कच्छ, में निर्वाचक गण द्वारा स्थानीय विधान

सभायें बनाये जाने की अत्यावश्यक तथा व्यापक मांग के होते हुए भी, अभिभाषण में वहां प्रजातंत्रात्मक सरकार स्थापित करने का कोई आश्वासन नहीं है"।]

मैं सदन का ध्यान भाग ग में के राज्यों की जनता की दशा और विशेषकर त्रिपुरा की दशा की ओर और वहां पर चालू सरकार की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। बीस साल से त्रिपुरावासी प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के भाषण में भाग ग में के राज्यों में तथा वहां उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमान्, मैं अपना मामला ही बताता हूं। चार साल तक पुलिस मेरे पीछे पड़ी रही और मेरे लिये अब भी एक वारेंट है। दो और मतदाताओं के नाम भी वारेंट हैं और त्रिपुरा का एक निर्वाचित सदस्य अब भी नज़रबन्द है। निर्वाचन काल में सरकार द्वारा बहुत सी बाधायें डाली गयीं। ठीक चुनाव के समय साफर अली नामक व्यक्ति को, जो खेत में हल चला रहा था गिरफ़्तार कर लिया गया। अगले दिन वह पुलिस की हवालात में मरा पाया गया। रहस्य का हमें पता नहीं। भाग ग में के राज्यों में ऐसी दशायें हैं। मनीपुर और कच्छ के समान त्रिपुरा के विषय में भी राष्ट्रपति ने अप्रजातंत्रात्मक रूप से स्वविवेक मात्र से कार्य किया है। उन्हें त्रिपुरा को विधायिनी सभा बनाने का अधिकार दे देना चाहिये था। एक सदस्य द्वारा भाग ग में के राज्यों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गोपाल-स्वामी ने कहा था कि जो निर्वाचक गण बनाये जायेंगे वह उत्तरदायी सरकार की स्थापना तक तदर्थ विधान मण्डल के रूप में कार्य करेंगे। किन्तु बात इस के विपरीत है।

त्रिपुरा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की बहुत बड़ी हार हुई है। उन्हें ३० में से कुल ९ स्थान मिल सके। साम्यवादी तथा प्रजातंत्रात्मक दल (डेमोक्रेटिक पार्टी) को १९ स्थान मिले। राष्ट्रपति के भाषण में इन भाग ग मे के राज्यों में प्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री एम० ए० अयंगार** : अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री दशरथ देब : त्रिपुरा के निर्वाचकों ने उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से तथा अनुशासन पूर्वक भारत के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक संख्या में मत दिये। साम्यवादियों को कुल मतों के ६२ प्रति शत मत मिले और कांग्रेस को २६ प्रति शत किन्तु राष्ट्रपति ने दण्डस्वरूप वहां राज्य विधान सभा नहीं बनने दी। एक उदाहरण से वहां की प्रजातंत्रीय भावना प्रकट हो जायेगी। निर्वाचन काल में हम ने चार बड़ी सभायें कीं, प्रत्येक में दो लाख व्यक्ति थे जिन की मांग राज्य विधान सभा की स्थापना थी।

एक माननीय सदस्य : यह स्थगन प्रस्ताव है अथवा दल का प्रचार कार्य ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने ढंग से कह रहे हैं--यदि इस से दल का प्रचार हो तो क्या किया जाय ?

श्री दशरथ देब : किन्तु राष्ट्रपति तथा उन के परामर्शदाता इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। कांग्रेस भी जनता की परवाह नहीं करती है और दमन करके ही अपनी शक्ति बनाये रख रही है। कांग्रेस अहिंसा तथा प्रजातंत्र की रट लगाती है और त्रिपुरा में जनता के अधिकारों का दमन हो रहा है और मुख्य आयुक्त का शासन सब से बुरा है। इस शासन को कांग्रेस सरकार का समर्थन प्राप्त है। यदि मुख्य आयुक्त का ही शासन वहां रहेगा तो आर्थिक अनुन्नति का तर्क किस प्रकार दिया जा सकता है तथा वहां की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार ठीक रह सकती है। मेरा सुझाव है कि यदि जनता को सरकार का हाथ बटाने दिया जाय तो त्रिपुरा की रक्षा व्यवस्था अच्छी प्रकार से बनी रहेगी।

अनुन्नति की दशा की बात तो ठीक नहीं है क्योंकि चुनाव में त्रिपुरा के ६० प्रति शत व्यक्तियों ने मत देकर अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग किया। आर्थिक अवस्था अच्छी न होने पर भी त्रिपुरा में खनिज पदार्थ तथा लकड़ी आदि बहुत हैं।

एक माननीय सदस्य : राज्य परिषद् में इस पर पहले निर्णय दिया जा चुका है.....

सभापति महोदय : इस सदन में यह निश्चय किया जा चुका है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट सभी विषयों का निर्देश किया जा सकता है। हम राज्य परिषद् का अनुसरण नहीं करते हैं। हम हाउस आफ कामन्स में प्रचलित प्रथा का अनुसरण करते हैं। अध्यक्ष महोदय ने भी यही विनिर्देश दिया था। किन्तु मेरा कहना है कि सदस्य यथासम्भव उन्हीं बातों तक ही सीमित रहें।

श्री दशरथ देब : यदि इन समस्याओं को जन सरकार हल करे तो त्रिपुरा की भी अन्य प्रान्तों के समान होने की सम्भावना है। त्रिपुरावासियों की राज्य विधान सभा की मांग उचित है।

दूसरी बात यह है कि शरणार्थियों की समस्या भारत की सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या है। किन्तु राष्ट्रपति के भाषण में इस का उल्लेख ही नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि लाखों शरणार्थी भूख से मरते रहें और उन्हें रोज़गार भी न मिले। अतः त्रिपुरा के लिये उत्तरदायी सरकार की मांग पर तथा शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या को बहुत महत्वपूर्ण मान कर उन पर विचार किया जाना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : महोदय, अंग्रेज़ी की इस लगातार झड़ी के पश्चात् मैं आशा करता हूं कि हिन्दी का भी एक झला सुहावना जान पड़ेगा। मैं ने आशा की थी कि जिस समय बालिग मताधिकार पर चुनी हुई यह संसद् आरम्भ होगी उस समय हम ने जिस भाषा को राज्य भाषा माना है उस को कुछ अधिक स्थान प्राप्त होगा, परन्तु मुझे पिछले दो दिनों में बड़ी निराशा हुई। मैं देखता हूं कि अब भी अंग्रेज़ी से हमारा मोह जा नहीं रहा है। जो लोग हिन्दी जानते हैं वह भी अंग्रेजी में बोलने का प्रयत्न करते हैं और जो प्रश्न किये जाते हैं वह भी, उन मंत्रियों से भी, जो कि हिन्दी जानते हैं अंग्रेजी में ही किये जाते हैं।

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला—कानपुर मध्य) प्रश्नों के लिए तो माफ कर दीजिये।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : यह अनुच्छेद ८७ के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण में इस का उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अनुच्छेद ८७ के बड़े उदार अर्थ निकाले हैं। मेरा मत उन से भिन्न नहीं है। वह हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया चाहते हैं। अतः इस जैसे अन्य मामलों को अनुमति मिल जायेगी। बताया जाता है कि माननीय सदस्य कार्यवाही की हिन्दी रिपोर्ट नहीं लेते हैं।

सेठ गोविन्द दास : ग़लत बात है। मैं प्रोटेस्ट (विरोध) करता हूं कि ऐसी बात कही गई। मैं बराबर हिन्दी की प्रोसीडिंग्स ले रहा हूं। हां, अंग्रेज़ी या उर्दू शब्दों का बहिष्कार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम तो अपनी राज्य भाषा ऐसी बना रहे हैं जिस में अधिक से अधिक शब्दों का समावेश कर सकें।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : सूचना के हेतु, क्या सदस्य अपने पड़ोसियों को सम्बोधित कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं।

सेठ गोविन्द दास : अपनी इस संसद् के सदस्यों से राज्य भाषा के सम्बन्ध में इतना कहने के पश्चात् अपने राष्ट्रपति को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शपथ हिन्दी में ली और उस के पश्चात् उन्होंने जो अपना प्रथम भाषण हमारी संसद् में दिया वह भी हिन्दी में था। मैं आशा करता हूं कि जो मार्ग हमारे राष्ट्रपतिजी ने हम को बताया है हम उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे।

मुझे कल के कुछ भाषणों को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब माननीय सदस्य श्री गोपालन ने यह कहा कि उन्हें तो देश में युद्ध की परिस्थिति दिखाई देती है, मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : आंख खोल कर देखिये।

सेठ गोविन्द दास : आंख खोल कर देखने के पश्चात् भी मैं युद्ध की परिस्थिति नहीं देख रहा हूं। कम से कम मेरे वयोवृद्ध मित्र रामनारायण सिंह जी को अब भी काफी दिखाई देता है, और उन्हें भी यदि युद्ध की परिस्थिति दिखाई देती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरा ऐसा मत है कि शायद श्री गोपालन जी को जिस प्रकार का युद्ध चुनाव में हुआ था वह युद्ध याद आ गया और उस चुनाव के युद्ध के कारण उन को अभी भी सर्वत्र युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है।

फिर उन्होंने एक बात और कही कि ऐसी स्वतंत्रता भी हमारे काम की नहीं है। मैं यह बात मानता हूं कि केवल स्वतंत्रता से हमारा काम नहीं चलने वाला है परन्तु इसी के साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता को नून तेल लकड़ी की तखड़ी पर नहीं तोला जा सकता। स्वतंत्रता परम पवित्र वस्तु है। स्वतंत्रता हमारे शताब्दियों के महान् त्याग के पश्चात् प्राप्त हुई है। हमें स्वतंत्रता महात्मा गांधी के प्रताप के कारण मिली है। आज हमें जो थोड़े से कष्ट हैं यदि उस से अधिक कष्ट भी हो जायं तो भी हमें स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखना है। हमें स्वतंत्रता को इस नून तेल लकड़ी की तखड़ी में नहीं तोलना है।

फिर कुछ बातें श्री गोपालन ने वैदेशिक नीति के बारे में कहीं। उन्होंने कहा कि उन की समझ में नहीं आता कि हमारी वैदेशिक नीति अमरीका के प्रति एक प्रकार की और रूस

[सेठ गोविन्द दास]

तथा चीन के प्रति दूसरी प्रकार की कैसे है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वह भूल गये कि जब कोरिया का युद्ध चल रहा था उस समय अमरीका की नीति के विरुद्ध हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि ३८वीं अक्षांश को पार नहीं करना चाहिये। क्या वह घोषणा अमरीका की नीति के विरुद्ध नहीं थी ? क्या वह भूल गये कि हमारे प्रधान मंत्री ने सब से पहले कहा था कि संयुक्त राष्ट्र-संघ में चीन को भी सम्मिलित करना चाहिये ? हमारी वैदेशिक नीति अमरीका के प्रति, रूस के प्रति, चीन के प्रति, सब के प्रति एक सी है। मैं ने देखा है कि न्यूजीलैंड में जब २८ देशों के कोई ७८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, डेढ़ वर्ष पूर्व की बात है तब इसी वैदेशिक नीति के कारण हमारे देश का कितना सम्मान था। आज यदि संसार में हमारी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है तो महात्मा गांधी और स्वतंत्रता, इन दो बातों के सिवा हमारी वैदेशिक नीति के कारण है।

फिर श्री गोपालन ने भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में कहा। जहां तक भाषावार प्रान्तों की रचना का सम्बन्ध है, मैं उन के साथ हूं। मैं स्वयं चाहता हूं कि इस देश में भाषावार प्रान्तों की रचना हो। यदि हम इस देश में प्रत्येक प्रान्त की भाषा को उचित स्थान देना चाहते हैं, प्रत्येक प्रान्तीय भाषा के साहित्य को उचित स्थान देना चाहते हैं और प्रत्येक प्रान्त की जो जो आन्तरिक इच्छायें हैं उन के अनुसार उस प्रान्त कार्य को चलाना चाहते हैं तो बिना भाषावार प्रान्तों की रचना के यह संभव नहीं होगा। भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट हैं और कांग्रेस की सरकार की नीति भी बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि भाषावार प्रान्तों की रचना कब की जा सकती है। इस समय जब कि हमारे सामने अनेक महान समस्यायें मौजूद हैं, जिन का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी बातें हम को कुछ देर के लिये स्थगित करनी होंगी और आज जैसी परिस्थिति है उस में भाषावार प्रान्तों की रचना कदाचित कुछ समय के लिये संभव नहीं होगी।

फिर मुझे डा० लंका सुन्दरम और एक सज्जन जो उस ओर से बोल रहे थे, मेरा ख्याल है उन का नाम चक्रवर्ती जी था या चटर्जी था।

कुछ माननीय सदस्य : एन० सी० चटर्जी।

सेठ गोविन्द दास : उन की यह बात सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सरकार तो अल्पमत की सरकार है।

बाबू रामनारायण सिंह : ठीक है।

सेठ गोविन्द दास : बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने अधिक मत कांग्रेस दल को मिले हैं उतने अधिक किस दल को मिले हैं और यदि कांग्रेस दल को पचास फी सदी से कम मत मिले तो यह कहना कि यदि कांग्रेस के उम्मीदवारों के विरुद्ध एक एक उम्मीदवार खड़ा होता तो कांग्रेस हार जाती, बड़ी गलत बात है। क्या जितने लोग कांग्रेस के उम्मीदवारों के विरुद्ध लड़े उन का यह ख्याल है कि यदि कांग्रेस के विरुद्ध केवल एक एक उम्मीदवार खड़ा होता तो वह सब के सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा देते ? यदि वह ऐसा समझते हैं तो भूल करते हैं।

यदि इतने अधिक उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े न होते तो

कांग्रेस को पचास प्रति शत से अधिक मत मिलने वाले थे क्योंकि इस समय जो मत कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ गये उन में से भी कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों को मिलते। यह जो मत कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध पड़े, इन के बारे में यह कहना कि यह सब कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध पड़ते और जो लोग विरुद्ध खड़े होते वह लोग जीत जाते यह बिल्कुल गलत चीज़ है।

कुछ बातें मेरी बहन श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने कहीं। उन की जिस बात पर मुझे सब से अधिक आश्चर्य हुआ वह यह थी कि राष्ट्रपति के भाषण में कोई नई बात नहीं है। यहां हम लोग कोई आतिश-बाजी चलाने को या फुलझड़ियां चलाने को नहीं बैठे हैं कि हर बार नई नई बातें लाते रहें। किसी भी राष्ट्र का काम इस तरह की तमाशेबाजी से नहीं चल सकता हर बार हम को यह आशा क्यों करनी चाहिये कि कोई न कोई नई बात कोई न कोई नया तोहफा हमारे सामने पेश किया जाया करे। इस की आवश्यकता नहीं है। हम एक नीति का अनुसरण कर रहे हैं। उस नीति पर चलते हुए हम को कुछ समय बीत गया है। हम उस नीति का अनुसरण करना चाहते हैं और यह मानते हैं कि उस नीति का अनुसरण करने से ही देश का कल्याण है। तब हम नई नई बातें करने का क्यों प्रयत्न करें, यह मेरी समझ में नहीं आता।

उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृपलानी ने कुछ सुझाव दिये हैं और उन में से कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जिन से मैं भी सहमत हूं पर यहां पर बार बार जो यह कहा जाता है कि भूमि का पुन-र्वितरण होने से ही उत्पादन बढ़ सकेगा यह ग़लत बात है। यदि हम को अपनी भूमि का उत्पादन बढ़ाना है तो कुछ आधुनिक साधनों का भी हमें उपयोग करना चाहिये। हमें सहकारी फ़ार्मों की आवश्यकता है। यह मैं मानता हूं, सहकारी फार्म बड़े बड़े होते हैं, उन में आधुनिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु यदि भूमि का वितरण कर दिया जाय और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े सब लोगों को दे दिये जायें तो उस से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : सही है।

सेठ गोविन्द दास : इसलिये जहां तक भूमि के वितरण का प्रश्न है इस प्रश्न पर हम को वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस बात का प्रयत्न करते हुए हम चलें कि सब लोगों को भूमि मिल जाये और उसका नतीजा यह निकले कि भूमि का उत्पादन जितना अभी होता है उस से भी अधिक घट जाय।

एक मिनट में मैं अपना कथन समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

यह कहा गया है कि इन पांच वर्षों में हम ने क्या प्राप्त किया है। यदि कोई निष्पक्षता से विचार करे तो उस को मानना पड़ेगा कि हम जो कुछ इन पांच वर्षों में प्राप्त कर सके हैं, वह मानव इतिहास में किसी सरकार ने हमारी परिस्थिति के सदृश परिस्थिति में इतने थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया है। क्या हम भूल गये इस बात को कि देश का एकीकरण सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ बिना एक बूंद खून बहाये ऐसा दुनियां में कहीं नहीं हुआ। क्या हम इस बात को कि आज तक इस देश से दूसरे देश को सत्तर लाख मानव कभी

[सेठ गोविन्द दास]

भी नहीं आये। इस सत्तर लाख मानवों को चाहे आज कुछ कष्ट ही क्यों न हो, हम ने बसाने का प्रयत्न किया। क्या यह छोटी बात है। हम मानते हैं कि आज हम को अन्न का कष्ट है, पर इसी के साथ हमें यह भी मानना होगा कि हम ने इतना कष्ट रहते हुए भी जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में बंगाल की दुर्घटना हुई उस प्रकार की किसी दुर्घटना को यहां पर नहीं होने दिया और इतना कष्ट रहते हुए भी आज पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक एक आदमी भी इस देश में भूख से नहीं मरा। फिर इतनी बड़ी बड़ी योजनायें हमारे सामने हैं जिन को हम कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं। हाथ पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। यदि कोई अन्य दल हमारे स्थान पर होता तो हम जो कुछ कर सके उतना उसके लिए करना संभव नहीं होता। आलोचना करना अलग बात है जब कार्य करना पड़ता है तो दूसरी बात हो जाती है।

मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि चुनाव निष्पक्षता से नहीं लड़े गये अगर चुनाव निष्पक्षता से न लड़े जाते तो मेरे दायें ओर और आप के बायें ओर जो महानुभाव बैठे हैं वह दृष्टिगोचर नहीं होते।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

हम सब बातों का विचार करें तो हम देखेंगे कि हम ने क्या क्या किया है।

हम यह मानते हैं कि हम से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। हम यह मानते हैं कि हम ने जो कुछ किया है उस से अधिक किया जा सकता होगा। हम यह भी मानते हैं कि अगर कुछ विधायक सुझाव हमारे सामने रखे जायें तो यह हमारा सौभाग्य होगा और हम उन को कार्य रूप में परिणित करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यह कहना कि इन पाँच वर्षों में हम ने कुछ नहीं किया, हमारी विदेशी नीति खराब रही, देश के सम्बन्ध में भी हमारी नीति खराब है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह केवल प्रचार है, इस में कोई सच्चा तथ्य नहीं है और यदि हम गांधी जी के बतलाए हुए सत्य का भी अवलम्बन छोड़ देना चाहते हैं तो हमारे देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

मैं मूल प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करना चाहता हूं।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय:

"but regret—

(a) that in spite of the urgent need for increasing India's defence strength, the Address does not disclose a policy of defence reorganisation, keeping in view modern methods whereby other countries have been increasing their striking-power and expanding their defence strength without a corresponding increase in the expenditure thereon;

(b) that the Address gives no indication of concrete proposals for

satisfying the aspirations of patriotic citizens to defend the country through a suitably organized territorial force which is to serve as an efficient second line of defence for the Army as well as for the Navy and the Air Force ;

(c) that the Address discloses no programme for the integration of national defence with nation-building activities so that the expenditure on defence, while increasing the size and efficiency of the defence forces, could be made to serve various constructive, socio-economic purposes;

(d) that the Address has ignored the possibility of mobilising and training our vast civilian man-power, not only for the defence of our freedom in a war emergency but also for the implementation of our socio-economic plans ;

(e) that the Address has overlooked the importance of civil defence units and semi-military civilian organisations which should be entitled to financial aid and training facilities from the concerned departments; and

(f) that the Address makes no mention of any proposed measures for creating the necessary atmosphere required for all out national defence and all development of national resources."

["किन्तु खेद है—

(क) भारत की सैनिक शक्ति में वृद्धि किये जाने की अत्यावश्यकता के होते हुए भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में, आधुनिक रक्षा पद्धति को दृष्टि में रखते हुए जिस में कि अन्य देशों ने अपनी युद्धशक्ति तथा सैन्य शक्ति में तत्सम्बन्धी व्यय में वृद्धि न करते हुए बढ़ाया है, कोई उल्लेख नहीं है;

(ख) कि अभिभाषण में देशभक्त नागरिकों की देश को एक उपयुक्त प्रादेशिक सेना द्वारा, जो कि सेना तथा नौ सेना और वायु सेना की कुशल द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करेगी, रक्षा करने की अभिलाषा को पूर्ण करने के सम्बन्ध में किसी ठोस प्रस्ताव का भी उल्लेख नहीं है;

(ग) कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं के राष्ट्र निर्माणकार्यों के कार्यक्रम से सम्बन्ध स्थापित करने का

[श्री यू० सी० पटनायक]

उल्लेख नहीं है, जिससे कि रक्षा सेवाओं की कार्यकुशलता तथा आकार को बढ़ाते समय रक्षा सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय से विभिन्न रचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक कार्यों का सम्पादन किया जा सके;

(घ) कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की महान् सामूहिक जन-शक्ति का, न केवल युद्ध के संकट काल में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के निमित्त अपितु अपनी सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के निमित्त भी, संगठन करने और प्रशिक्षण देने की उपेक्षा की गयी है;

(ङ) कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में असैनिक रक्षा एककों तथा अर्ध-सैनिक नागरिक संस्थाओं के महत्व की उपेक्षा की गई है, जिन्हें सम्बद्ध विभागों से आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये ; तथा

(च) कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्ण राष्ट्रीय रक्षा तथा राष्ट्रीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिये अपेक्षित आवश्यक वातावरण पैदा करने के लिये प्रस्तावित कार्यों का उल्लेख नहीं ।"]

इस में रक्षा सेवाओं के पुनःसंगठन तथा आधुनिकीकरण, प्रादेशिक तथा नागरिक रक्षा यूनिटों, नागरिक अर्ध-सैनिक संगठनों तथा रक्षा सेवाओं को सामाजिक-आर्थिक योजनाओं तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित करने का उल्लेख है। इस को ध्यान में रखते हुए कि अपनी रक्षा व्यवस्था पर हम प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं, रक्षा व्यवस्था के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये। देश में निराशा इसलिये है कि पिछले पांच वर्षों में प्रशासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में अन्तर नहीं हुआ है। विशेषकर रक्षा-संगठन के दृष्टिकोण में जिस में इतने अनुशासन युक्त सैनिक हैं जो देश सामाजिक कार्य में सहयोग दे सकते हैं। अतः खेद इस बात का है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन का कोई उल्लेख नहीं है और विशेषकर जब कि संविधान के अनुच्छेद ५३ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रधान हैं और अनुच्छेद ५३ (२) के अन्तर्गत रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। हमारी सेनाओं की वीरता प्रशंसनीय रही है और अंग्रेजी शासन में यह मृतक सेना थी जो अब देश भक्त राष्ट्रीय सेना बन गई है। इस ने रायलासीमा व अन्य स्थानों में कार्य किया किन्तु अभी बहुत सी बातों में यह पिछड़ी हुई है और इस में बहुत सी प्रत्यक्ष त्रुटियां हैं। मुझे अपनी रक्षा सेवाओं की एक या दो मुख्य बातें, जिन में यह दिखाया जा सकता है कि यह अन्य देशों की सेनाओं से कितनी पीछे हैं, कहने का अवसर मिलना चाहिये।

गत सौ वर्षों में अन्य देशों ने अपने राष्ट्रों का अधिक धन व्यय किये बिना बहुत से तरीकों से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली। अन्य देशों ने सेनाओं से केवल युद्ध में ही काम नहीं लिया अपितु शान्ति काल में राष्ट्रीय कार्यों में उस से काम लिया। इन तरीकों को कुछ परिवर्तन के साथ पूर्व के कुछ देशों ने भी अपनाया है। किन्तु गत पांच वर्षों में भारत की रक्षा सेनाओं के पुनःसंगठन अथवा आधुनिकीकरण का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और न इस से राष्ट्र निर्माण का कार्य लिया

गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी रक्षा सेवायें केवल कुछ विशेष सेना तक ही सीमित न रहें किन्तु देश में एक राष्ट्रीय नागरिक सेना (मिलिशिया) हो और राष्ट्र को सशस्त्र किया जाये। आज कल जब कि हवाई हमले होते हैं तथा अणु-बमों, बैक्ट्रियोलोजिकल और रासायिनिक युद्ध के दिनों में केवल सेना पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, पूरे राष्ट्र को सैन्य शिक्षण मिलना चाहिये। इस में यह बात भी सम्मिलित है कि तीनों सेनाओं सन्तुलन हों और उन के लिये द्वितीय रक्षा-पंक्ति बनाई जाये और रक्षा के लिये नागरिकों को भी संगठित किया जाय। मैं सदन को एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व रक्षा आयव्यक सम्बन्धी चर्चा के दिन एक विदेशी वायुयान दिल्ली के ऊपर उड़ा और हमारी वायु सेना इसे नहीं पहचान सकी थी।

३ म० प०

अब सोचिये कि यदि वह ए० बी० सी० प्रकार का भी बम गिरा देता तो दिल्ली में जहां सब नेता एकत्रित थे, और देश की क्या दशा होती? यह हमारी कमजोरी का प्रतीक है और नागरिकों के नैतिक उत्साह के लिये उसका संगठन होना चाहिये।

रक्षा केवल नियमित रक्षा सेवाओं तक ही सीमित नहीं है किन्तु इस में समूचे राष्ट्र का हाथ होना चाहिये। इस दृष्टि से हमारी रक्षा सेवायें दोषपूर्ण हैं। दूसरे आधुनिक रक्षा संगठन का राष्ट्र निर्माण कार्यों से सम्बन्ध होना चाहिये। निस्संदेह रायला सीमा में हमारी सेनाओं ने यह किया है। सैनिकों को अपने सेवा के अल्प-काल में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वह निवृत्ति वेतन के बिना संघ तथा राज्यों को भलिभांति राष्ट्र निर्माणकार्यों में भूमि सेना की सहायता के बिना सहयोग दे सकें। रक्षा संगठन की उन दो महत्वपूर्ण बातों की हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने उपेक्षा की है। पश्चिमी देशों ने अल्पकालीन सेवा प्रणाली के साथ साथ रक्षित सेना (रिजर्व) प्रणाली को अपनाया है। ऐसा विशेषकर शत शताब्दी में मध्य यूरोप में किया गया। वहां पूरे राष्ट्र को न्यूनतम व्यय पर सशस्त्र करने का विचार किया गया। बाद में यूरोप के अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। इंग्लैंड ने सन् १८७०-७१ में लार्ड कार्डवेल द्वारा प्रस्तुत अधिनियमों के अन्तर्गत इसे अपनाया यूरोप में सफल इस प्रणाली को भारत में चलाने के लिये सन् १८७९ में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस ईडन समिति का यह मत था कि चूंकि अंग्रेजों ने इस देश में इतना सफल सैन्य विघटन किया था अतः अल्पकालीन सेवा प्रणाली को चलाने से जनता में सैनिक भावना आ जायेगी जो अवांछनीय थी। अतः ईडन समिति ने इस प्रणाली को अस्वीकार किया। सन् १९२१ में सर पी० एस० शिव स्वामी अय्यर ने, जो कि एक असैनिक थे, ईशर समिति की रिपोर्ट के बाद केन्द्रीय विधान मंडल में १५ संकल्प रखे जिन में दसवां बहुत महत्वपूर्ण है। इस में भारतीय रक्षा सेवाओं के तथा प्रादेशिक सेना के पुनःसंगठन की बात कही गई थी। मैं तो कहता हूं कि श्री अय्यर ने हमारे देश के सेना विशेषज्ञों को मात कर दिया। उस संकल्प को तत्कालीन प्रधान सेनापति ने तथा केन्द्रीय विधान सभा ने स्वीकार किया था। उन्हों ने स्वीकार किया कि अल्पकालीन सेवा प्रणाली और रक्षित सेना के लिये सामयिक प्रशिक्षण होना चाहिये। भारत ने इसे स्वीकार तो किया किन्तु खैर है कि इसे लागू नहीं किया।

[श्री यू० सी० पटनायक]

अल्प कालीन प्रणाली का अर्थ है कि सेना नौसेना तथा वायुसेना में लम्बी अवधि की अपेक्षा अल्प काल के लिये सैनिक रखे जायें। यह अवधि स्विटज़रलैण्ड में तीन महीने, फ्रांस में एक वर्ष और अब इंग्लैंड में छै वर्ष है। इस अवधि में उन्हें केवल रक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है अपितु राष्ट्र निर्माण कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अशिक्षितों को पढ़ाया जाता है तथा उन्हें कुछ उद्योग धन्धों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस से वह बिना निवृत्ति-वेतन के अपनी सीखी बातों से देश का कार्य कर सकते हैं। अतः सामयिक प्रशिक्षण, विशेषकर रक्षित सेना के रेफ्रेशर प्रशिक्षण के अतिरिक्त वह देश के उद्योगों को बढ़ाते हैं और रक्षा व्यय के कारण मुद्रास्फीति भी नहीं होती है। गत सौ वर्षों में पश्चिमी देशों में नई प्रणाली के अन्तर्गत रक्षा व्यय केवल युद्ध में रक्षा पर ही नहीं व्यय किया जाता बल्कि शान्ति काल में आर्थिक विकास के लिये भी किया जाता है।

निराशा का दूसरा कारण यह है कि हमारी प्रादेशिक सेना अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक रही है। पिछले कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने सन् १९२० के प्रादेशिक सेना अधिनियम को बदल दिया, और एक नई प्रादेशिक सेना बनाई गई। अंग्रेज असैनिक व्यक्तियों से भी सैनिक विषयों में सलाह लेते थे। पर अब तो केवल एक ब्रिगेडियर ने इस का पुनःसंगठन किया। यह प्रादेशिक सेना न हो कर केवल रक्षित सेना ही है आस्ट्रेलिया का प्रादेशिक सेना अधिनियम भी हमारे अधिनियम के साथ बना और वहां की सेना में देश भक्त देश के लिये लड़ सकते हैं, किन्तु हमारी प्रादेशिक सेना में भूतपूर्व सैनिक ही जा सकते हैं।

मेरी अन्तिम बात यह है हमारा नागरिक रक्षा संगठन बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक पश्चिमी देश में वालंटियर फोर्स, नेशनल गार्डस अथवा होम गार्डस, स्काउट तथा राइफल क्लब, या शूटिंग क्लब, और राइडिंग क्लब आदि होती हैं। यह युद्ध काल में देश को लड़ने में सहायता करती हैं और आर्थिक पुनःसंगठन कार्यों में भी सहायक होते हैं हमारी सरकार को भी इनका अध्ययन करना चाहिये और रक्षा व्यय को बिना बढ़ाये अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये। सेनाओं से सामाजिक आर्थिक पुनःसंगठन कार्य, उत्पादन कार्य शिक्षा प्रसारिक कार्य, स्वास्थ्यप्रद कार्य, और कृषि तथा उद्योगों में विकास कार्य के हेतु काम लेना चाहिये।

श्री केलप्पन: (पोन्नानी) मेरे लिये यह सब नया है। १९२० में मैं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और विधान मण्डलों में आने का प्रयत्न नहीं किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब एक नाटक है। दोनों सदनों में लगभग सात सौ व्यक्ति हैं उन पर लाखों रुपये व्यय होते हैं। हमें सोचना चाहिये कि हम जनता के भाग्य विधाता होने लायक कहां तक हैं यद्यपि हमने संविधान पारित कर दिया है। हमारे राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया मेरा विचार था कि उस में अगले पांच वर्षों की योजना होगी पर उसमें ऐसा कुछ नहीं। हम राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। राष्ट्रपति आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र डा० देशमुख ने कहा कि यह उत्साहवर्धक शब्द हैं।

वास्तव में हम भी इन सब बातों को चाहते हैं। किन्तु सदस्य महात्मा जी की आर्थिक समानता की बात समझें। गान्धी ने कहा था कि आर्थिक समानता स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है। इस असमानता को दूर करने से हम धनी और श्रमिकों के झगड़े दूर कर सकते हैं। अहिंसात्मक सरकारी प्रणाली असम्भव है। जब तक कि धनी और निर्धनों का भेद भाव न मिट जाये किसी दिन विप्लव अवश्य होगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य कोई लिखित भाषण पढ़ रहे हों तो मुझे खेद है कि उस की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री केलप्पन: मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं बापूजी का उद्धरण दे रहा था। क्या हम अपना धन, ऐश्वर्य छोड़ने को तैयार है अथवा विद्रोह के लिये तैय्यार हैं क्या हम इन आदेशों पर चल रहे हैं? करांची प्रस्ताव के अनुसार देश में अधिकतर वेतन ५०० रुपये होना चाहिये हम ने अंग्रेजों के उच्च पदों वाले अतिव्ययी प्रशासन की निन्दा की थी। हम ने इस में क्या परिवर्तन किये? राष्ट्रपति को १०,००० रुपये तथा राज्य-पालों को ५,००० रुपये वेतन मिलते हैं। मंत्रियों का भी वही है। अधिकतम और न्यूनतम बेतनों में पांच गुने से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये यदि एक परिवार के लिए न्युनतम १०० रुपये हों तो अधिकतम वेतन १,००० रुपये होना चाहिये केवल दसगुना, अधिक नहीं होना चाहिये। जब तक हम इन वेतनों में अन्तर कम नहीं करते तब तक जनता का विश्वास हम में नहीं रहेगा चाहे हमने कितना भी बलिदान क्यों न किया हो।

हमने चीन में एक शिष्ट मण्डल भेजा है। क्या ऐसा चीन तथा भारत की दो बड़ी संस्कृतियों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये किया है? क्या यह व्यक्ति भारत की संस्कृति के वास्तविक प्रतिनिधि हैं? हम सादे जीवन और आत्म-प्रेरणा में विश्वास करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यही था विश्व में हमारी ख्याति महात्मा जी के कारण हैं उन्होंने किसी दिखावटी बातों का समायोजन नहीं किया था। इन सांस्कृतिक अथवा शिष्ट मण्डलों के चुनने में भी पक्षपात है। हमें ऐसे शिष्ट मण्डलों में विशेष रुचि नहीं रखनी चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेशी बस्तियों का कोई वर्णन नहीं है। फ्रेंच और पोर्चुगीज सरकारों को समझ लेना चाहिये कि अब हम उन की बातों को सहन नहीं कर सकते। हमने अंग्रेजी शासन को समाप्त किया। इन विदेशी बस्तियों के कारण हमें खतरा भी है और हमारे सुधारों में रुकावटें भी हैं। उदाहरण के लिए यहां मद्य निषेध है किन्तु वहां बदले के तौर पर इसके विपरीत है लोग वहां जाकर शराब पीते हैं। वास्तव में वहां बिना चुंगी दि सामान का चोर बाजार है हम अपने देश में विदेशी बस्तियों के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकते। हमारी खाद्य नीति असफल रही है। यदि सामूहिक विकास योजनायें तथा ग्राम योजनायें सफल बनानी हैं तो हमें देश का सहयोग आवश्यक है। मद्रास सरकार की खादी योजना असफल रही, और ए० आई० सी० सी० के आदमी भी वापिस बुला लिये गये। अच्छा है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे और ग्राम वासियों को ही इन योजनाओं में सहयोग दे तथा विदेशी पूंजी पर निर्भर न रहे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): आर्थिक स्थिति के विषय में बहुत सी बातें कही गई है चूंकि आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा में यह सब बातें होंगी अतः मैं थोड़ा ही कहूंगा। इन में से एक तो विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्न के मूल्य के विषय में है यह सुन कर आश्चर्य ही हुआ किन्तु हमारा ध्येय खाद्यान्न में अत्मत निर्भरता प्राप्त करना है। यह याद रखना चाहिये कि युद्ध से पूर्व भी भारत खाद्यान्न मंगाता था और ब्रह्मा से बहुत अधिक मात्रा में चावल आता था। देश के विभाजन के कारण ७,५०,००० लाख टन अनाज की कमी हो गई। जनसंख्या बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में औसत आयात $3\frac{1}{2}$ लाख टन है। इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि नदी घाटी योजनाओं पर धन का अपव्यय हुआ है। दो बातें हैं—एक अल्प कालीन उद्देश्य तथा दूसरा दीर्घकालीन उद्देश्य है। छोटी सिंचाई योजना में कुछ अड़चनें है। छोटी सिंचाई कार्य कम दामों में बन जाते हैं पर उन की देख भाल पर अधिक खर्च होता है। इन नदी घाटी योजनाओं को बहु-प्रयोजन नदी घाटी कार्य कहा जाता है। इन का कार्य केवल भूसिंचन का ही नहीं है अपितु बाढ़ से भूमि की रक्षा करना तथा बिजली पैदा करना भी है। छोटे सिंचाई के कार्य तो 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना में सम्मिलित रहे हैं। मद्रास में छोटे सिंचाई कार्यों पर काफ़ी व्यय किया है किन्तु चार-पांच वर्ष तक अनावृष्टि के कारण वे कुएं और तालाब न भरे जा सके। इसी बात से इन दोनों योजनाओं का परस्पर अन्तर ज्ञात हो जाता है।

अब मैं आर्थिक सहायता पर आता हूं। किन्तु बिना आयव्ययक अनुमानों के मैं ठीक प्रकार से नहीं बता सकता। आर्थिक सहायता के विषय में एक गलत धारणा हो गई है। मैं इसे दूर करना चाहता हूं। विक्रय मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह इस आर्थिक सहायता के बन्द किये जाने के कारण हुई है। वास्तविक बात यह है कि गत वर्ष जितनी मात्रा में आर्थिक सहायता दी गई थी उस को बन्द करने के विषय में शिकायत नहीं है अपितु बढ़े हुए आयात मूल्यों के लिये अतिरिक्त धन को आर्थिक सहायता देने के लिये प्राप्त करना है।

इस विषय में मैं कुछ कह दूं। सन् १९५० में आर्थिक सहायता इस प्रकार थी: प्रति मन गेहूं पर १ रु० ११ आने; मोटे चावल पर ५रु० १आना तथा बाजरे पर १रु० ८आने प्रति मन हमें आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी। कुल आयात २·१ लाख टन थी और केन्द्र को १५ करोड़ रुपये आर्थिक सहायता के रुप में देने पड़ते थे। सन् १९५१ में आयातित खाद्यान्नों के दाम बढ़ गये थे और आर्थिक सहायता इस प्रकार की थी: प्रति मन गेहूं पर ७रु० १ आना, मोटे चावल पर ७रु० ४आ० प्रति मन तथा बाजरे पर ५रु० ४ आने थी। यदि हमें सन् १९५० के अनुसार आर्थिक सहायता देते तो यह ५८ करोड़ होती। क्योंकि मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त आयात २.१ लाख टन से ४.७ लाख टन हो गया था १५ मास पूर्व यह दशा थी। हम इतनी सहायता नहीं दे सकते थे। हमने यही अच्छा समझा कि सब संसाधनों से काम लिया जाय अथवा औद्योगिक नगरों और त्रावनकोर-कोचीन जैसे अभाव वाले क्षेत्रों में निर्वाह व्यय को दी जाने वाली सहायता को बढ़ा दिया जाय। हम ने बाजरे पर दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का विचार किया। परिणामस्वरूप हम ने

अपनी आर्थिक सहायता की वाकबद्धता को ३६·५६ करोड़ रूपये तक कम कर दिया। साथ ही हमें अतिरिक्त २० लाख टन का आयात करने के लिये उधार मिल गया। हमने यह समझा कि आयातित खाद्यान्न को तटागत व्यय पर नहीं बेचा जा सकता। ९५ करोड़ रुपयों पर हमें २० करोड़ की हानि हो सकती थी यह हमारा विचार था और १९५१ में ९ करोड़ रुपयों की हानि हो सकती थी अतः कुल आर्थिक सहायता ४५ करोड़ से कुछ अधिक थी। अमेरिकन गेहूं का तटागत मूल्य २२रु० १ आना था जो राज्यों को १८ रु० ६आना प्रति मन दिया गया।

सन् १९५० में दिये जाने वाले १५ करोड़ रुपयों की तुलना में यह धन कहां से मिल सकता था। अन्तर यह है कि मुद्रास्फीति के कारण निर्यात शुल्क पर हमारी आय बढ़ गई थी और निर्यात शुल्क की उपलब्धियों को आर्थिक सहायता में जोड़ दिया गया। आर्थिक सहायता में इस परिवर्तन का एक परिणाम औद्योगिक नगरों तथा राशन वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विक्रय मूल्यों में बढ़ती हुई असमानता थी। इस प्रथा को बदलते समय राज्य सरकारों ने घोर विरोध किया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस नई प्रणाली का जबरदस्त विरोध होगा। मैं उदाहरण के लिए बम्बई राज्य के दो आंकड़े दूंगा। बम्बई शहर में आर्थिक सहायता दिये जाने पर विक्रय मूल्य १६ रुपये था और बिना आर्थिक सहायता वाले क्षेत्रों में २१ रु० ११ आने था।

सन् १९५२ के प्रारम्भ में खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में और वृद्धि हुई और आर्थिक सहायता इस प्रकार होती : १९५० में १ रु० ११ आने प्रति मन की तुलना में गेहूं ६रु० १० आ० प्रति मन, मोटा चावल १० रु० ४ आ० प्रति मन और ज्वार १०रु० ५आ० प्रति मन बिना सहायता वाले क्षेत्रों में ७रु० ५आ० प्रतिमन देना पड़ा होता। औद्योगिक नगरों के अतिरिक्त आर्थिक सहायता के कारण हमारा ४४ करोड़ रुपये का व्यय होता और १० करोड़ उधार रूप से मिले गेहूं पर हुई हानि है। परिणामतः गांव और शहरों में असमान्ता और बढ़ जाती। उदाहरण के लिये बम्बई शहर में दाम १६ रुपये रहते और ग्रामीण क्षेत्रों में २३ रु० ८ आनें। और यदि हम पूरे देश म १६ रुपये का भाव रखना चाहते तो हमें ९० करोड़ रुपयों की आवश्यकता होती फिर मुद्रास्फीति कम होने से निर्यात शुल्क के रूप में होने वाली आय भी कम हो गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसी भी राज्य सरकार पर आक्षेप करने के अभिप्राय से कुछ निर्देश नहीं किया था। बल्कि जब राज्यों सरकारों को केन्द्र से सस्ता गेहू मिलने की बात मालूम होती है तो वह समाहार करने वाले अपने अधिकार के विषय में एक और प्रकार की धारण बना लेते हैं। इस वर्ष फरवरी में खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन की आयातित खाद्यान्नों की मांग ७९ लाख टन की थी। दूसरे, अगर हमें इतना मिल भी जाय तो हमारे बन्दरगाहों में इतना आ नहीं सकता। राज्य सरकारों की इतनी ही मांगे रही। दुबारा विचार करने पर उन्होंने उन्हें कम कर दिया। अन्त में उन से अपनी मांगों को घटा कर ४९ लाख टन कर देने के लिए कहा गया। हम ने भी अपने आयात की जाने वाली मात्रा में पांच लाख टन कम कर दिया। चूकि व्यादेश दिये जा चुके हैं अतः इस से और अधिक कमी नहीं की जा सकती। अब हमारी स्थिति यह है कि पहिले तो

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूकानदारों को फायदा था किन्तु अब खरीदने वालों को फायदा है और सभी जगह उत्पादकों के पास माल बहुत है। अनाज के बारे में भी यही बात है। फरवरी और मार्च में उत्पादक अतिसंचय कर्ताओं द्वारा इकठ्ठा किया हुआ अनाज बाहर आ गया है। खाद्यान्नों की मांग बहुत अपरिवर्तनीय है। हम एक दिन या एक सप्ताह तक खरीदना बन्द कर सकते हैं इस से अधिक नहीं। जहां तक आयातित खाद्यान्न की निकासी का सम्बन्ध है उस के कमी के अन्य कारण हैं। समयाभाव से मैं आंकड़े नहीं बता सकता।

इसके दो कारण हैं (१) उत्तम प्रकार से समाहार का होना और (२) जाली राशन कार्डों में कमी होना है। अब निर्वाह व्यय पर आर्थिक सहायता का प्रश्न है। खेद है कि हमारे पास अभी तक के आंकड़े नहीं हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाह व्यय पर आर्थिक सहायता हटाने का क्या प्रभाव हुआ है। मार्च के आंकड़ों में थोक माल के देशनांक चार वर्ष पहिले की अर्थात् मई १९४८ के देशनांक पर आ गये हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या हम ९० करोड़ ६० करोड़ या ४५ करोड़, रुपये दे सकते क्योंकि हमारा उपबन्ध १५ करोड़ रुपये हैं तो इस से ३०, ४० और ५० करोड़ कैसे दे सकते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि चालू वर्ष में कितना घाटा होने का अनुमान है। यह लगभग ४० और ५० करोड़ के बीच में हैं। अतः प्रस्तावना यह है कि आर्थिक सहायता देने के लिये हमारी आय नहीं है, हमें घाटा बढ़ा कर खाद्यान्न की खपत के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये। अब समस्या यह है कि यदि हमें यह घाटा पूरा करना है तो क्या इन ५० करोड़ रुपयों को किसी उत्पादन कार्य में लगा देना चाहिये या नहीं। अच्छा तो यही होगा कि देश भी थोड़ा सा कष्ट उठाये और धन को उत्पादन कार्य में लगाया जाय। मुझे ऐसा कोई अर्थ शास्त्री नहीं मिला जो आशापूर्ण भविष्य वाणी कर सके।

मेरी अन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा संख्या १४ में यह कहा गया है कि जहां कहीं भी संकट होगा सरकार यथाशक्ति उसे रोकने का प्रयत्न करेगी। मुझे संदेह नहीं कि जहां भी सरकार को यह मालूम होगा तो वह आवश्यक संसाधन प्राप्त करके इसे दूर करेगी।

श्री एन० आर० एम० (स्वामी बान्दिवाश): प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

> "but regret that no reference or mention has been made in the Address of any intention to give effect to the provisions relating to the appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुन्नत जातियों की दशा की जांच करने के हेतु एक आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित उपबन्धों को कार्यान्वित करने का कोई निर्देश या उल्लेख नहीं किया गया है।"]

(२) कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"but regret that no policy has been envisaged or chalked out to resolve the issue regarding the liquidation of foreign pockets in India."

["किन्तु खेद है कि भारत मे विदेशी वस्तुओं को समाप्त करने के प्रश्न को हल करने के हेतु इस में कोई नीति बताई या निर्धारित नहीं की गई है।"]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई बातों की मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता मैं राज्यों तथा केन्द्र की शिक्षा सम्बन्धी नीति के विषय में कुछ कहना चाहता हूं हम प्रजातंत्र को अपना रहे हैं। भारत की अधिक जन संख्या अशिक्षित है। यदि केन्द्र इस विषय में कोई विधान नहीं बनाता तो हम प्रजातंत्र को पूर्ण रूप से नहीं चला सकते। इस विधान में यह होना चाहिये कि हम सब को पांच या दस वर्ष में दस या पन्द्रह अशिक्षितों को शिक्षित करने का उतरदायित्व लेना चाहिये। यदि हमारे नागरिक शिक्षित नहीं होंगें तो हम अन्य राष्ट्रों में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे नेता ने अन्य क्षेत्रों में भारत को ख्याति प्राप्त कराई है किन्तु पश्चिम और पूर्व के देशों के मिलाप के लिये उन्हें बहुत कुछ करना है। अतः हमारा ऐसा कार्यक्रम होना चाहिये कि प्रत्येक शिक्षित सरकार से सहयोग करे।

मेरी दूसरी बात मद्रास की अशिक्षित और अनुन्नत अधिकांश जन संख्या के विषय में है। वहा की $\frac{3}{4}$ जन संख्या अनुन्नत जातियों की है। वह सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है और संविधान के विशेष उपबन्धों को लागू करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। एक आयोग की नियुक्ति के विषय में भी कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं। मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाये और आयोग को नियुक्त किया जाय। सिचाई के सम्बन्ध में पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अनावृष्टि के कारण हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। अनावृष्टि के लक्षय खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त नहीं की जा सकी। यदि वर्षा हो तो हमारी परियोजनायें चल पड़ेंगी। मैं कहता हूं कि बहुत सी परियोजनायें.....

श्री सी० डी० देशमुख : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं ने यह नहीं कहा सभी 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनायें अनावृष्टि के असफल रही हैं। मैं ने कहा था कि मद्रास में छोटे सिंचाई कार्यों पर बहुत धन व्यय किया गया किन्तु पांच वर्षों की अनावृष्टि के कारण वह कुएं ओर तालाब न भर सके।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : इसके स्पष्टीकरण के लिये मैं अनुग्रहीत हूं। अनावृष्टि के कारण बहुत सी परियोजनायें चालू की जा सकी हैं, इसी भाव में मैं ने कहा था बहुत सी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है। मै एक बड़ी योजना का सुझाव देता हूं। उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक करोड़ों रुपयों के व्यय से नहरें बनाई जायें। इस प्रकार हम गंगा आदि उत्तर की नदियों से वर्ष भर पानी ले सकते हैं। दक्षिण में तो सभी परियोजनाओं को लागू करना है।

श्री एम० ए० आय्यंगर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इन नहरों को बनाने के लिये विदेशो से धन लिया जा सकता है।

मेरे संशोधनों में दूसरी बात विदेशी बस्तियों के विषय में है। पांडीचरी में चोरी छिपे सामान ले जाने वालों का शरण स्थान है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

[श्री एन० आर० एम० स्वामी]

अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। सदस्यों ने कहा कि देश में अमेरिका के जासूस हैं किन्तु मैं कहता हूं कि रुस के जासूस भी हैं जो यहां जासूसी करते हैं। हमें सब देशों के प्रतिनिष्पक्ष रहना चाहिये। इस जासूसी को रोकना चाहिये। मुझे खेद है कि धन्यवाद प्रस्ताव में सम्मिलित होने की अपेक्षा मैं ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये।

जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है उसके साथ केन्द्र का अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मद्रास भारत का भाग ही नहीं है। मुझे आशा है कि अब से मद्रास को प्राथमिकता मिलेगी और उस की शिकायतों को सुना जायगा।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : मैं हैदराबाद का हूं और नया सदस्य हूं। हैदराबाद के ही एक सदस्य की बातों के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि "राजनैतिक" बंदियों को माफी और रिहाई दी जाय। मैं सदन को कुछ भतकाल और इस समय के तथ्य बताना चाहता हूं। इनका सशस्त्र संघर्ष, भारत की साम्यवादी दल के कलकत्ता प्रस्ताव पर आधारित है। यह बात गलत है कि तैलंगाना का सशस्त्र संघर्ष कृषकों का संघर्ष है। यह तो नेहरु सरकार को पलटने के लिये किया गया था। यह कृषकों की लड़ाई न हो कर एक राजनैतिक आन्दोलन था। जब हैदराबाद में स्वतंत्रता संग्राम चला रहा था तो साम्यवादी दल ने हैदराबाद का भारत के साथ संविलन का विरोध किया था। उस समय वहां सेना नहीं थी। पुलिस कार्यवाही से पूर्व जब सशस्त्र संघर्ष चल रहा था उस समय सेना आई। तेंलगाना को एक समान सरकार स्थापित करने के लिये स्थान चुना गया था। विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा कि "२००० गांवों में हमारी सरकार थी।"

मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि वह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी था। यदि यह कृषक आन्दोलन होता तो मैं श्री रेड्डी को बता दूं कि हम भी उनके साथ होते। हम कृषक समस्या को सुलझाना चाहते हैं। किन्तु यदि कृषक आन्दोलन के नाम पर सशस्त्र संघर्ष किया जाय तो भारत सरकार का वहां सेना भेजना स्वाभाविक है। वहां झगड़ा शुरू होने पर ही तो सेना भेजी गई थी। जब हम जेल में थे तब हैदराबाद के साम्यवादी दल को, जो अवैध संस्था थी, वैद्य कर दिया गया तेलगांना का सशस्त्र संघर्ष वियत नाम और मलाया के समान भारत के बीच एक पृथक् सशस्त्र क्षेत्र बनाने के लिये था। अतः मैं यह नहीं मान सकता कि यह संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये था।

यह याद रखना चाहिये कि वहां बड़ी अनिश्चित प्रकार की दशायें थी और साम्यवादी वहां अराजकता फैला रहे थे। यह दशा पुलिस कार्यवाही के बाद थी। मैं वहां पांच महीने तक घूमा। वहां कोई भी बिना हथियार के बाहर नहीं आ सकता था। मेरे दौरे से जिनका लेशमात्र भी सम्बन्ध था उन्हें साम्यवादियों ने बहुत तंग किया। जिसने मुझे खाना दिया था उसका मकान जला दिया गया। हजारों ग्रामीणों को डराया गया।

मैं यह भी मानता हूं कि सेना ने भी कुछ ज्यादितियां की। किन्तु दोष एक का नहीं है, साम्यवादियों ने भी लोगों को बहुत डराया था। एक गांव में तो वहां के सभी पुरुषों को अपनी जान बचाने के लिये सैनिक शिविर में सब को शरण लेनी पड़ी। इस सशस्त्र संघर्ष में २५० कांग्रेसी तथा इसके समर्थक मारें गये। इस में जमीदार नहीं बल्कि निर्दोष गांव वाले मारे गये और

गांव वालों की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के लिये उनके पशु भी इधर उधर कर दिये गये थे। यहां मैं श्री रविनारायण रेडी की बात का निर्देश करूंगा यहां वह बात कही गयी जो सरदार पटेल ने हैदराबाद में कही थी कि वह इस दुषित मनोवृति को तेलंगाना से निकाल देगें। प्रगतिशील सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था, प्रजातंत्रात्मक आधार पर राज्य प्रणाली चाहने वाले इस मनोवृत्ति को नष्ट करना चाहेंगे।

नागरिक स्वतंत्रता की बात भी कही गई। साम्यवादी दल पर से प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया और अपनी विचारधारा का प्रचार कर सकते हैं तो और किस प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता चाहते हैं। यदि उन की सरकार होती तो हम में से उनका विरोध करने के लिये कोई नहीं यहां होता। तेलंगाना में २५० नागरिक मार डाले गये तो हम उन से किस स्वतंत्रता की आशा कर सकते हैं। किन्तु यह प्रजातंत्र सरकार उन्हें प्रजातंत्रात्मक तरीकों से अपना कार्य करने दे रही है। साम्यवादियों के लिये यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें सताया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव के विषय में भी कहा गया है। इस के अनेक प्रमाण है कि चुनाव में सशस्त्र जथे लोगों को गांव में डराते थे और स्त्रियों से कहते थे कि उन का कुम कुम तथा मंगल सूत्र नष्ट कर दिया जायगा। अगर इसको वह जांच करवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिये तैय्यार हूं।

श्री आर० एन० रेड्डी (नलगोंडा) : निष्पक्ष जांच में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं।

स्वामी रामानन्द तीर्थ : अब भविष्य की बात लीजिये। भविष्य के विषय में श्री गोपालन ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें चुनाव में विश्वास नहीं है। भारत के साम्यवादी दल के तीन तरीके हैं। एक तो विधान मण्डलों में संयुक्त प्रजातंत्रात्मक दल (युनाइटेड डेमोक्रेटिक फेड्रेटस), दूसरा जनता में हड़ताल आदि कराना, तीसरा सशस्त्र गुरिल्ला दस्ते। इन के पास अब भी अस्त्र शस्त्र हैं। मेरा विचार है कि यदि छुप कर काम करने वालों के वारंट वापिस कर लिये गये और उन्हें यह वचन दे दिया जाय कि सब ठीक रहेगा और उन्हें छोड़ दिया जायगा तो हथियार नहीं सौंपे जायेंगे इससे कोई भी सहमित नहीं हो सकता। बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकता। माफी बहुत सोच समझ कर दी जानी चाहिये। साम्यवादियों को हथियार सौंपने और प्रजातंत्रात्मक तरीके अपनाने और सहयोग देने में कोई संकोच नहीं होने चाहियें।

भारत सरकार की विदेश नीति के विषय में एक शब्द। हमारी शान्ति नीति के कारण अन्य राष्ट्रों में हमारा सम्मान बहुत बढ़ा है। हमें अमरीकन या ऐसी गुट्ट में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिये। विध्वंसात्मक शक्तियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के कारण भारतवासी अपने प्रधान मन्त्री के आभारी रहेंगे।

मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समथन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जनजातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"but regret that no mention has been made

[श्री जयपाल सिंह]

about the implementation of the special provisions of the Constitution in regard to the backward classes and in particular of the Scheduled Tribes."

["किन्तु खेद है कि अनुन्नत जातियों विशेषकर अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"]

सदन के अध्यक्ष के चुनाव के दिन जब सभी छोटे छोटे दलों के नेताओं ने उन्हें उन के चुनाव पर बधाई दी थी, मैं उन्हें समयाभाव के कारण झारखण्ड दल तथा आदिवासियों की ओर से बधाई नहीं दे सका था। मुझे विश्वास है कि आप जन-जातियों के प्रतिनिधियों का सदा मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। वह इस देश की सर्वाधिक अनुन्नत जातियों के प्रतिनिधि हैं।

मेरी स्थिति विचित्र है। क्योंकि पिछली बार मैंने राष्ट्रपति के लिये धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किन्तु उस समय भी मेरा यही विचार था कि प्रत्येक सरकार ने चाहे वह अंग्रेजी, अस्थाई या यही लोकप्रिय सरकार ही क्यों न हो, जनजातियों की, जिनकी संख्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अनुसार तीन करोड़ है, उपेक्षा की है। इतने पर भी उनका कोई भी प्रतिनिधि मंत्रि-मण्डल में नहीं है। इस विषय में नेहरू सरकार भी वैसी ही रही है। तो आदिवासियों की ऐसी दशा है। मैं सम्प्रदायवादी नहीं हूं किन्तु मैं भी सन्देहात्मक स्थिति म हूं क्योंकि संविधान में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिये विशेष प्रकार के अधिकार और संरक्षणों का उपबन्ध है। और इन बातों के लिए स्वयं राष्ट्रपति भी उत्तरदायी हैं। किन्तु उनके अभिभाषण में अनुन्नत जातियों के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये बाध्य हैं। अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया। किन्तु हम जानना चाहते हैं कि वह पदाधिकारी क्या कर रहा है? संविधान के अनुसार इस पदाधिकारी को अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी चाहिये और राष्ट्रपति को वह रिपोर्ट सदन पटल पर रखनी चाहिए। हमें यह भी बताया जाना चाहिए था कि राष्ट्रपति का विचार जांच करने के लिये आयोग को नियुक्त करने का है या नहीं। उस आयोग का कार्य अनुच्छेद ३३९ के अनुसार यह जांच करना होगा कि अनुन्नत जातियों से सम्बन्धित विशेष उपबन्धों को लागू किया जा रहा है या नहीं।

इस अवसर पर प्रथम बार सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी गई। शायद पुलिस कार्यवाही को छोड़ कर और कभी भी उनके कार्यों की प्रशंसा नहीं की गई थी। किन्तु अबकी बार श्री शिवा राव तथा श्री पटनायक ने सेना की प्रशंसा की। रक्षा आय-व्ययक के समय सेना की सदा आलोचना की जाती है कि उस पर फिजूल खर्चा बहुत होती है। किन्तु अब सदन के सदस्य सेना के महान् कार्यों को स्वीकार करते हैं। जब भी असैनिक प्रशासन को कठिनाई होती है तो सेना ही सहायता करती है। किन्तु सेना के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। हम में से

अधिकांशों का यह विचार है कि सेना में लोगों को अधिक वेतन मिलता है । कितने सदस्यों ने सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों के घरों को जा कर देखा है और उनकी दशा देखी ? मैं ने सुना है कि जब नेहरू मंत्रिमंडल बना तो अच्छे और बड़े मकानों को लेने के लिये सेना के वरिष्ठ जनरलों से वह मकान ले लिये गये, किन्तु सैनिक होने के नाते उन्हों ने बुरा नहीं माना । यदि आप पानागढ़ में सैनिकों तथा उनके अधिकारियों के निवासस्थानों को देखें तो आप की आंखें खुल जायेंगी । सरकार सैनिकों से निवास का जो किराया लेती है वह अनुचित है । जहां हम उन की देश-भक्ति पूर्ण सेवाओं को स्वीकार करते हैं, वहां हमें उनकी कठिनाइयों को भी अनुभव करना चाहिये ।

मुझे आशा है कि नेहरू सरकार अपने उस वचन को पूरा करेगी जो जन-गणना में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को कम कर देने की बात के विषय में है । सन् १९४१ में उनकी जनसंख्या २ करोड़ ७३ लाख थी जो अब घटा कर १ करोड़ ७९ लाख कर दी गई है । हमें यथास्थिति बनाये रखने का वचन दिया गया था । जब श्री राजगोपालाचार्य मंत्री बने तो उन्होंने इस विषय में सब राज्यों को निदेश भेजे थे । श्री पी० एस० देशमुख भी यह बता सकते हैं कि छात्रवृत्ति के विषय में हमें यही कठिनाई थी यद्यपि गृह मंत्री ने यथा-स्थिति के सम्बन्ध में वचन दिया था किन्तु उस का पालन नहीं किया । जनसंख्या के आंकड़ों को २ करोड़ ७३ लाख से १ करोड़ ७९ लाख, कम कर देने के सम्बन्ध में ठक्कर बापा ने भी सरदार पटेल से विरोध प्रकट किया था । यह बात विधान से दूर की जा सकती है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस का कहीं कोई उल्लेख नहीं है ।

अन्त में कैंपटना के महाराजा की भाषा-वार प्रान्तों की बात लूंगा । उन्होंने कहा कि गणतंत्र परिषद् ने सरायकेला को उड़ीसा में मिलाने का प्रश्न उठाया था । उन्होंने १ जनवरी, १९४८ के झगड़े का तो उल्लेख किया पर खरसवान गोली काण्ड का नहीं । यह इसलिये हुआ था कि सरायकेला और खरसवान के निवासी उड़ीसा में नहीं मिलना चाहते थे । मयूरभंज में झगड़ा हुआ । कुल नौ बार गोली चलाई गई जिस में २५० व्यक्ति मरे और २० जेल में मरे । इस पर फिर कभी बात हो सकती है । चुनाव के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि उसमें बहुत सी बातें हुईं । यह तो प्रथम चुनाव था । भविष्य में देखियेगा कि जनता अपनी मतदान शक्ति को कैसा समझती है । फिर भाषावार प्रान्तों के बारे में बातें करिये तो मालूम होगा कि जनता आप के साथ है । मैं इससे अधिक प्रशासन के आधार पर प्रान्तों को चाहता हूं । देश को भाषा के आधार पर विभक्त करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उसे तो प्रशासनात्मक कार्यकुशलता चाहिये जिससे देश में एकता हो और शक्तिशाली बन सके ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैंने राष्ट्रपति को दिये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं । मैं उन में से खाद्य समस्या और खाद्य के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता वाले दो प्रस्तावों पर अधिक ज़ोर देना चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

(1) That at the end of the motion the following be added :

"but regret that the Address, when refer-

[श्री एस० एस० मोरे]

ring to the recent elections under the Constitution, has failed to mention that in majority of constituencies the elections were neither free nor fair."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अन्तर्गत अभी हाल में हुए निर्वाचन के सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि बहुत अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव न तो उन्मुक्त रूप से हुए और न ही निष्पक्ष रूप से।"]

(२) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address refers to the shortage of food problem in a very superficial manner and consequently grievously fails to note the grave food situation in many parts of the country which are in the grim grip of dire famines which are primarily caused by the system of British-brand administration still operating in this country; the Address has also failed to notice that the method of procurement and the ruinously unremunerative prices given to the producers of food grains particularly in the Bombay State—have substantially contributed to the shortage of foodgrains and to the failure of the Grow More Food campaign."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य समस्या का बहुत आडम्बरपूर्ण रूप से निर्देश किया गया है और परिणामतः इस में देश के बहुत से अत्यन्त दुर्भिक्ष वाले भागों में, व्याप्त गम्भीर उस खाद्य-स्थिति पर जो दुर्भिक्ष इस देश में अब भी अंग्रेजों की शासन पद्धति के अनुसार चलने वाले प्रशासन के कारण हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है; और अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि खाद्यान्न समाहार करने के तरीके तथा खाद्यान्न उत्पादकों को—विशेषकर बम्बई राज्य में दिये जाने वाले बहुत कम दामों के कारण खाद्यान्नों की बहुत अधिक कमी हुई है और अधिक अन्न उपजाओ योजना भी असफल रही है।"]

(३) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the reference in the Address to the withdrawal of Government subsidy and the consequent

high rise in the prices of essential food-grains is erroneous and complacent and completely ignores the fact that the withdrawal of the subsidy, on very flimsy grounds, has enormously raised the prices of food-grains and thus reduced workers, peasants and middle classes to the lamentable level of actual starvation as will be evident from the different forms of agitation started in different parts of the country and especially of the Bombay State."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी आर्थिक सहायता तथा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक खाद्यान्नों में बढ़े हुए मूल्यों के सम्बन्ध में जो निर्देश किया गया है वह गलत है और आत्मतुष्टि का परिचायक है और उसमें इस तथ्य की नितान्त अवहेलना की गई है कि आर्थिक सहायता वापिस लेने के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा इस से मज़दूर-किसान तथा मध्य वर्ग के लोग भुखमरी की सीमा तक पहुंच चुके हैं जैसा कि देश के विभिन्न भागों, और विशेषकर बम्बई राज्य में विभिन्न रुपों में फैले हुए विरोध आन्दोलनों से स्पष्ट है।"]

(४) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the reference in the Address to the general economic situation in the country and the fall in the prices of several commodities reveals that the Government of India have failed to realise that the economic situation is rapidly worsening and that the collapse of prices is due partly to the general post-war depression heading towards a serious crisis and partly due to the complete sapping of the purchasing power of the peasantry, the workers and the middle classes who have been suffering from several and serious economic ailments such as high cost of living, unemployment, heavy taxation and black marketing."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सामान्य आर्थिक स्थिति तथा मूल्यों में कमी होने का जो निर्देश किया गया है उस से पता चलता है कि भारत सरकार यह अनुभव करने में

[श्री एस० एस० मोरे]

असफल रही है कि आर्थिक स्थिति तेज़ी से बिगड़ती जा रही है तथा मूल्यों की गिरावट, आंशिक रूप से तो युद्धोत्तर मूल्य अवसाद के कारण है, जिस का परिणाम संकटपूर्ण होगा और आंशिक रूप से कृषकवर्ग, मज़दूरवर्ग तथा मध्य-वर्ग की, जो कि गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों जैसे बढ़े हुए खर्चे, बेकारी, भारी करारोपण तथा चोर-बाज़ारी को सहन कर रहे हैं, क्रय शक्ति समाप्त हो जाने के कारण है।"]

(५) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address fails to refer specifically to the catastrophic fall in the prices of *gur*, cotton, groundnuts and similar other agricultural products which, if not stemmed in time, will completely ruin a large section of the peasantry and small traders and eventually seriously affect the whole economy of the country."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुड़, कपास, मूंगफली तथा ऐसे ही अन्य कृषि उत्पादनों के मूल्यों में हो रही भारी कमी, जिसे यदि समय पर नहीं रोका गया तो जिस से कृषकों की एक बड़ी संख्या तथा छोटे व्यापारी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जायेंगे तथा फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा; की और कोई निर्देश नहीं है।"]

(६) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address, when referring to noble ideals of equality and social and economic justice does not indicate the concrete measures which the Government of India intend to pursue in their endeavour to reach this objective as speedily as possible."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समानता तथा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की ओर निर्देश करते हुए, कोई ऐसे ठोस उपायों की ओर संकेत नहीं किया गया है जो भारत सरकार इस लक्ष्य की जितने शीघ्र हो सके प्राप्ति के हेतु अपने प्रयत्नों में अपनाने का इरादा रखती है।"]

(७) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address has absolutely failed to point out the wide-spread corruption, inefficiency, nepotism,

and extravagance in expenditure in the administration of the Government of India and to emphasise the immediate necessity of taking urgent measures to remedy these very serious evils."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण भारत सरकार के प्रशासन में सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, अदक्षता, पक्षपात तथा अपव्ययता का उल्लेख करने तथा इन बड़ी बुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने की तुरन्त आवश्यकता पर आग्रह करने में सर्वथा असमर्थ रहा है।"]

(८) कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"but regret that the Address does not mention the urgent necessity of the general redistribution of States on linguistic basis, as repeatedly promised by the Congress, and particularly the desirability of forming Samyukta Maharashtra State composed of all the Marathi-speaking areas from Bombay—including city of Bombay, Madhya Pradesh and Hyderabad State."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के भाषावार आधार पर सामान्य पुनर्वर्गीकरण, जैसा कि कांग्रेस द्वारा बार बार वायदा किया गया है, कि नितान्त आवश्यकता का, तथा विशेष रूप से बम्बई के समस्त मराठी भाषी क्षेत्रों—बम्बई नगर सहित, मध्यप्रदेश तथा हैदराबाद राज्यों से निर्मित संयुक्त महाराष्ट्र राज्य को स्थापित करने की वांछनीयता का कोई उल्लेख नहीं है।"]

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की खाद्य स्थिति का उल्लेख किया गया है। उसका बहुत अच्छी भाषा में उल्लेख किया गया, किन्तु कांग्रेस अपने गत इतिहास को नहीं देखना चाहती है क्योंकि इसने जनता को जो भी वचन दिये थे और प्रतिज्ञायें की थीं उनका पालन नहीं किया है। और इस में वह अपनी कठिनाई भी बतलाती है। मैं जानता हूं कि ग़रीब जनता को सदा ऐसे ही वचन दिये जाते हैं। मैं ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी का उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा था कि हम भारत की जनता उन्नति के लिये तथा औद्योगिक विकास के लिये काय करना चाहती हैं। उनकी समृद्धि में ही हमारी शक्ति है। भगवान् हमें इन कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करे। उस समय से १५ अगस्त, १९४७ तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। इस म उन वचनों और प्रतिज्ञाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया।

अंग्रेज़ों के विचार मात्र से मेरा खून खौलता है और कांग्रेस के विचार से संकोचमिश्रित भावना पैदा होती है क्योंकि मैं भी कांग्रेस में था। बचपन में मैं 'नेहरू जी की जग' के नारे लगाता था। क्योंकि नेहरू जी के लेख मेरे लिये वैसे ही थे

[श्री एस० एस० मोरे]

जैसे कि सनातनी पंडित के लिये वेद। किन्तु यह नेहरू आज के नेहरू नहीं थे अपितु स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले नेहरू जी थे। राष्ट्रपति ने कहा था कि "इस महान् देश की सेवा करना मेरा ध्येय है।' भारत देश से क्या अभिप्राय है? क्या इस का मतलब बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी नदियां हैं या इस का मतलब टाटा, बिड़ला या अन्य व्यापारी हैं? नहीं, इस का मतलब भारत की जनता से है। मैं यहां नेहरू जी की "**ग्लिम्पसेस आफ वर्ल्ड हिस्टरी**" का उद्धरण देता हूं जिस में उन्होंने कहा है कि भारत का अर्थ लाखों अभागे किसानों से है न कि कुछ थोड़े से मध्यवर्ग के व्यक्तियों से। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत का मतलब लाखों अभागे किसानों से है जो सबेरे से रात तक खेतों में कड़ा परिश्रम करते हैं। किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या उनकी जिसके लिये नेहरू जी ने अधिक प्रयत्न किया था उचित प्रकार से देखभाल होती हैं? उन्होंने एक नोट में राष्ट्रीय योजना आयोग से कहा था कि भारत के किसानों के वर्ग की बहुत उपेक्षा की गई है।

बाबू रामनारायण सिंह: वह तो शब्द भुला दिये गये हैं।

श्री एस० एस० मोरे: ऐसे भूल जाने वालों को उनके शब्द याद दिलने चाहियें। मैं दुष्यन्त और शकुन्तला का उदाहरण लेता हूं। दुष्यन्त ने सुन्दरी शकुन्तला को वचन दिये थे किन्तु अपने महल में पहुंच कर वह शकुन्तला और अपने वचन दोनों को ही भूल गया। किन्तु शकुन्तला उन्हें नहीं भूली और उस ने उसे वह शब्द याद दिलाये। यही बात भारत की जनता के साथ है। कांग्रेस ने दुष्यन्त के समान शकुन्तला रूपी जनता को वचन दिये, किन्तु अब वह उन्हें भूल गई है। श्रीमती काले के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि वह वचन और प्रतिज्ञायें तो गत इतिहास का विषय है। जी हां, नेहरू जी के साथियों के लिये गत इतिहास सुखदायी विषय नहीं है। मैं नेहरू जी का वह कथन बताना चाहता हूं जिस में उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सामाजिक अथवा आर्थिक कार्य सफल नहीं होगा जिस में जनता के लिये कार्य और सुरक्षा सम्मिलित न हों। हम ने तो उच्चवर्ग के विषय में ही सोचा और बहुसंख्यक किसानों का ख्याल ही नहीं किया है जिन्होंने शताब्दियों तक दुख सहे हैं, हमारी योजना में उन को राहत और सुरक्षा मिलनी चाहिये। यह उन्होंने कहा था।

मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित नेहरू जी द्वारा दिये वचनों और प्रतिज्ञाओं का उन्होंने पालन किया? उनका पालन नहीं किया गया इसमें नेहरू जी का दोष नहीं हैं। मैं कांग्रेसियों को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दे रहा हूं। यह तो शासन प्रणाली का दोष है। अंग्रेज़ों ने शक्ति हस्तान्तरण तो किया किन्तु उस के साथ हमें अंग्रेज़ी शासन प्रणाली भी मिली। मैं कहता हूं कि पुरानी नौकरशाही का प्रतिनिधित्व माननीय वित्त मंत्री करते हैं। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है न मैं उन पर आक्षेप करना चाहता हूं। किन्तु वह उसी पुरानी शासन प्रणाली के हैं। जब मैंने उन का यह भाषण सुना, जो खाद्य पर मिलने वाली आर्थिक सहायता के विषय में था, तो मुझे ऐसा लगा कि श्री शुस्टर या श्री ग्रिग बोल रहे हों। मैं फिर कहता

कि मैं तो केवल शासन प्रणाली के विरुद्ध हूं—किसी व्यक्ति के नहीं। सन् १८९३ में दादाभाई नौरोजी ने अपने राष्ट्रपति भाषण में कहा था कि हम अंग्रेजों की शासन प्रणाली के विरुद्ध बोलते हैं किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध नहीं। हम तो शासन प्रणाली की ही आलोचना करते हैं किन्तु अधिकारी वर्ग समझता है कि हम उस के लिये कहते हैं। नेहरू जी ने इस विशेष शासन प्रणाली का निर्देश किया था। आज नेहरू शासन के विरुद्ध मेरे सब से बड़े साक्षी स्वयं नेहरू जी हैं। श्रीमान् आप की अनुमति से मैं एक लम्बा विवरण पढ़ना चाहता हूं।

सभापति महोदय : लम्बे विवरण से सदन का समय व्यर्थ नष्ट होगा।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं जानता हूं कि मेरी बातों से कांग्रेस दल को विश्वास नहीं होगा फिर भी मैं विश्वास दिलाने के लिये कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप एक मिनिट और ले सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : हमें जनता ने अपने दुख सुनाने और कार्य करने के लिये यहां भेजा है—इस में समय की कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये। पंडित नेहरू ने यह कहा था: हमें साम्राज्यवाद की इस शासन प्रणाली को उखाड़ फेंकना चाहिये। मैं उन से सहमत हूं—यही उन की बात का संक्षेप है। जिस व्यक्ति ने उस शासन प्रणाली को समाप्त कर देने का कार्य अपन ऊपर लिया था वही आज उस शासन प्रणाली का प्रधान है। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि किसानों की भलाई और लाभ के लिये पंडित नेहरू ने इतना कहा था, विशेषकर कराची प्रस्ताव में, सन् १९३६ के कृषिसुधार कार्यक्रम प्रस्ताव में, सन् १९३७ के फैजपुर प्रस्ताव में और सन् १९३७ तथा १९४६ के घोषणा पत्रों में जो प्रतिज्ञायें तथा वचन दिये गये थे उन का किसी का भी पालन नहीं किया गया है, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह प्रतिज्ञायें और वचन यह थे कि कांग्रेस इस बात का ध्यान रखेगी कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जायगा और उस के परिश्रम का इतना पैसा उसके पास रहने दिया जायगा कि वह कार्य चला सके। कांग्रेस तथा आज की सरकार ने इन सब बातों की अवहेलना की है।

मैं कुछ विभिन्न समितियों के निर्णय के विषय में कहना चाहता हूं। सन् १९४३ में श्री ग्रेगरी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके सभापति गोरी नौकरशाही के सदस्य थे। इस समिति ने भी यह कहा था कि: हम समाहार प्रणाली चला रहे हैं किन्तु किसानों के निर्वाह व्यय तथा उत्पादन व्यय का ध्यान रखा जायगा और उसे मुनाफ़ा दिया जायगा। सन् १९४६ में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के सभापतित्व में एक मूल्य उपसमिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया। मैं अन्य समितियों के विषय में नहीं कहना चाहता। किन्तु सरकार ने उन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया और उत्पादन व्यय और निर्वाह व्यय का ध्यान रखे बिना मूल्यों को विस्तृत दृष्टिकोण से निर्धारित नहीं किया।

अब मैं सदन को अपने राज्य का उदाहरण दूंगा। मेरे निर्वाचित क्षेत्र में बाजरा और ज्वार ही मुख्य फसलें हैं। वहां २ १/२ मन के बोरे पर उत्पादन व्यय ४० रुपये है। पंडित नेहरू या मुरार जी की सरकार ने प्रति बोरे पर २३ रु० २

[श्री एस० एस० मोरे]

आने मूल्य निर्धारित किया है। अतः प्रति बोरे पर किसानों को १७ रुपये की हानि होती है। कभी कभी यह बोरे गोदाम में भी ले जाने पड़ते हैं। पूना जिले के इन्दरपुर के तालुका के लसूरना गांव में २,००० बोरे इकट्ठे किये गये। कांग्रेसी नेता कहते थे कि छोटे छोटे अधिकारी किसानों को नहीं सतायेंगे। किन्तु सरकार ने खाद्यान्नों पर अपना एकाधिकार कर लिया है और महात्मा जी का पवित्र नाम लेने वाले कांग्रेसियों की सरकार के यह छोटे अधिकारी अब भी उन्हें सताते हैं। तो २,००० बोरों पर १७ रुपये की हानि के हिसाब से यह राशि ३४,००० रुपये होती है। इतनी रकम तो डाकू भी एक रात में गांव से नहीं लूट सकते। मैं व्यर्थ की आलोचना करना पसन्द नहीं करता। मेरा विचार है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं।

५ म० प०

सभापति महोदय: आप अध्यक्ष को सम्बोधन कीजिये।

श्री एस० एस० मोरे: मैंने इस सरकार के प्रशासन का अध्ययन किया है। मैं १५० वर्ष पुराने अंग्रेजों के शासन से इन के शासन की तुलना कर रहा हूं। अन्य देशों के प्रशासन की तुलना में आपका प्रशासन त्रुटिपूर्ण है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अध्यक्ष महोदय का तो कोई भी प्रशासन नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे: मेरा अभिप्राय सरकार से है। प्रधान मंत्री ने अच्छा किया जो मुझे यह बताया कि प्रशासन उन का है अध्यक्ष महोदय का नहीं। इतना मैं भी समझता हूं। यद्यपि मैं नया सदस्य हूं किन्तु आशा करता हूं कि यदि मैं गलती से प्रधान मंत्री की अपेक्षा अध्यक्ष महोदय का निर्देश करूं तो वह सहनशीलता धारण करेंगे।

सभापति महोदय: यह बातें तो सद्भावनापूर्ण परिहास में कही गई थीं।

श्री एस० एस० मोरे: श्रीमान्, मैं इस परिहास को समझता हूं। अब मैं समाप्त करता हूं। मेरा कहना है कि इस सरकार ने गलतियां की हैं और किसानों को लूटा है। जब हम उन की आलोचना करते हैं तो हमसे क्रुद्ध होते हैं। किन्तु इस प्रकार की गलतियां, लूट और क्रोध सदा नहीं चल सकते हैं।

पंडित ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम): आप की भाषा तो कविता जैसी थी।

श्री एस० एस० मोरे: यह कविता नहीं है अपितु यह वास्तविक तथ्य है।

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार २१ मई १९५२ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—322 PS Deb.—28-4-53—285